



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2013-अग्रहायण 15, शके 1935

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### PUBLIC NOTICE

#### U/s. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that M/s Tesla Transmission Control (Transformer Division) of Bhopal vide reg. No. 01/01/01/00150/03, dated 05<sup>th</sup> January, 2004 undergone the following changes :—

1. That Smt. Rekha Mehani W/o Shri Sanjay Kumar Mehani and Shri Sanjay Kumar Mehani S/o Late Rijumal Mehani has joined the partnership firm on 21<sup>st</sup> November, 2013 and Shri Jarnail Singh Sahota S/o Late Joginder Singh, Shri Jagjit Singh Sahota S/o Late Joginder Singh, Smt. Paramjit Kaur W/o Shri Jagjit Singh Sahota and Shri Inderpreet Singh Sahota S/o Shri Jarnail Singh has also desired to retire from the partnership firm on 29<sup>th</sup> July, 2013 and 26<sup>th</sup> November, 2013.

(442-B.)

Tesla Transmission Control,  
Transformer Division.  
**SANJAY KUMAR MEHANI,**  
Partner.

#### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स यूनीवर्सल ट्रांसफॉर्मर पंजीयन क्रमांक 1486, दि. 15 फरवरी, 1984 पर पंजीकृत जिसमें 31 मई, 1983 को निम्न भागीदार हैं—

1. सुधा राठी, 2. पुरुषोत्तम दास राठी (एच.यू.एफ.), 3. जे. एम. तोषणीवाल (एच.यू.एफ.), 4. रतन देवी मंत्री, 5. सुष्मा राठी, 6. पदम कुमार मंत्री (एच.यू.एफ.), 7. विजय किशोर तापड़िया.

उक्त भागीदारों में से विजय किशोर तापड़िया दिनांक 1 जून, 1983 से फर्म की भागीदारी से निवृत्त हो गये हैं.

अतः यह सर्व विदित हो.

(443-बी.)

For Universal Transformer,  
सुधा राठी,  
Partner.

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स श्री राम स्टोन क्रेशर में दिनांक 01 नवम्बर, 2013 से श्री मजहर अहमद पुत्र स्व. श्री कदर बक्श एवं श्री राजेश अग्रवाल पुत्र स्व. श्री ओम प्रकाश अग्रवाल अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक से श्री अजय शर्मा पुत्र श्री एस. के. शर्मा एवं श्रीमती राधा भार्गव पत्नी श्री बालकृष्ण भार्गव नवीन साझेदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

कपिल दीक्षित,

पार्टनर,

फर्म—श्री राम स्टोन क्रेशर,

18, मिर्जापुर नौ महला, घासमण्डी, ग्वालियर (म. प्र.),

द्वारा—राजीव जैन (सी. ए.)

जयेन्द्रगंज, लशकर, ग्वालियर.

(438-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स राजलक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन, 8, न्यू सिटी कॉलोनी, ए. बी. रोड, गुना में दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 को राधेश्याम धाकड़ पुत्र श्री अमरलाल धाकड़ अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक को श्री अरविन्द धाकड़ पुत्र श्री राधेश्याम धाकड़, निवासी—एम.आई.जी. 59, साडा कॉलोनी, राधौगढ़, गुना सम्मिलित हो गये हैं. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

सूर्यप्रकाश रघुवंशी,

पार्टनर,

फर्म—मैसर्स राजलक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन,

8, न्यू सिटी कॉलोनी, ए. बी. रोड, गुना,

द्वारा—अनिल अग्रवाल (एडवोकेट)

खुर्जेवाला मौहल्ला, दौलतगंज, लशकर, ग्वालियर.

(439-बी.)

### आवश्यक सूचना

फर्म की रचना में परिवर्तन का सूचना-पत्र फर्मों के रजिस्टार को प्रकरण पत्र में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तुत या प्रेषित इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 की धारा-63 (1) के आधीन इसके द्वारा 42 सूचना दी जाती है कि फर्म मैसर्स अतुल कुरारिया की रचना में दिनांक 22-06-13 से निम्नलिखित परिवर्तन किया गया है. श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी, धवारी गली नं. 1 सतना, श्री अखिलेश शर्मा चित्रकूट, सतना, श्रीमती कल्पना तिवारी सतना, श्रीमती संगीता शर्मा चित्रकूट, दिव्या त्रिपाठी, चित्रकूट दिनांक 22-06-13 से अपनी साझेदारी से फर्म से बाहर निकल चुके हैं एवं श्री दिनेश मिश्रा, जेल रोड, मैहर नए साझेदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं.

द्वारा—दिनेश मिश्रा,

पार्टनर,

मे. अतुल कुरारिया.

(452-बी.)

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व में नाम नजमा (NAJMA) से परिवर्तित होकर मेरा नया नाम उपनाम सहित नजमा कुरैशी (NAJMA QURESHI) हो गया है. अतः अब मुझे अपने नये नाम उपनाम सहित नजमा कुरैशी (NAJMA QURESHI) से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

( नजमा )

( NAJMA )

नया नाम :

( नजमा कुरैशी )

( NAJMA QURESHI )

92/2, जहवार नगर, वार्ड नं. 26,

बस स्टैण्ड के पास, गंज बैतूल,

जिला बैतूल (म. प्र.).

(444-बी.)

**CHANGE OF NAME**

I, Bharat Kamal Sharma S/o Kamal Sharma, declare change of my Son's name from Pranay Sharma to Pranaay Bharat Sharma for all Future Purposes.

(435-B.)

**Bharat Kamal Sharma,**  
S/o Kamal Sharma,  
13-Vikas Nagar, Gwalior (M.P.) 474002.

**CHANGE OF NAME**

I, Bharat Kamal Sharma S/o Kamal Sharma, declare change of my Daughter's name from Manya Sharma to Maneea Sharma for all Future Purposes.

(435-A-B.)

**Bharat Kamal Sharma,**  
S/o Kamal Sharma,  
13-Vikas Nagar, Gwalior (M.P.) 474002.

**नाम परिवर्तन**

मैं, ताहेरा बोहरा ने अपना नाम परिवर्तन कर ताहेरा आगरवाला कर लिया है. अतः अब मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

नया नाम :

( ताहेरा बोहरा )

( ताहेरा आगरवाला )

(436-बी.)

121 (128) सैफी नगर,  
इन्दौर (म. प्र.).

**नाम परिवर्तन**

मैं, हुसैना बोहरा ने अपना नाम परिवर्तन कर हुसैना आगरवाला कर लिया है. अब से मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जाए.

पुराना नाम :

नया नाम :

( हुसैना बोहरा )

( हुसैना आगरवाला )

(437-बी.)

121 (128) सैफी नगर,  
इन्दौर (म. प्र.).

**CHANGE OF NAME**

I, Vishal Kumar Age 20 yr, S/o Virendra Kumar Chauhan R/o Qtr. No. 200, T-2, G.C.C.R.P.F., Bangrasia, Bhopal have changed my name as Vishal Kumar Chauhan S/o Virendra Kumar Chauhan & henceforth I shall be known as Vishal Kumar Chauhan for all the future purpose.

Old Name :

New Name :

( VISHAL KUMAR )

( VISHAL KUMAR CHAUHAN )

(441-B.)

Qtr. No. 200, T-2, G.C.C.R.P.F.,  
Bangrasia, Bhopal-462045 (M.P.).

**CHANGE IN NAME**

I, SUPRIYA MANOJ, Here by declare that I have change my name as SUPRIYA PILLAI. So, from now and in future. I will be known by my new name.

Old Name :

New Name :

( SUPRIYA MANOJ )

( SUPRIYA PILLAI )

(445-B.)

Add.—560, Usha Nagar Ext.,  
Indore (M.P.).

**CHANGE IN NAME**

I, Harmit Singh changed my name to HARMEET SINGH SHEETAL and now I would be known as HARMEET SINGH SHEETAL.

Old Name :

( HARMIT SINGH )

(446-B.)

New Name :

( HARMEET SINGH SHEETAL )

S/o Satnam Singh Sheetal.,  
922, Khatiwala Tank, Indore (M.P.)

**नाम परिवर्तन**

मैं, मंजू बजाज ने अपना नाम परिवर्तन कर कंचन बजाज कर लिया है. अब से मुझे इसी नाम से जाना जाए.

पुराना नाम :

( मंजू बजाज )

(447-बी.)

नया नाम :

( कंचन बजाज )

पता—पति सुनिल कुमार,  
66, काटजू कॉलोनी, इन्दौर (म. प्र.).

**CHANGE IN NAME**

I, Arundhathi Devarajan W/o Dharamarajan Devarajan here by declare that I have change my name as Pankaja Devarajan W/o Dharamarajan Devarajan. So, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name :

( ARUNDHATHI DEVARAJAN )

(448-B.)

New Name :

( PANKAJA DEVARAJAN )

W/o Dharamarajan Devarajan,  
Add. : M-301, Shalimar Township,  
A. B. Road, Indore (M.P.).

**नाम परिवर्तन**

पूर्व में मेरा नाम MISBAHUDDIN था, जिसे बदलकर SAYD MISBAHUDDIN कर लिया गया है, अब मुझे मेरे नये नाम SAYD MISBAHUDDIN से जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम :

( मिसबाहुद्दिन )  
( MISBAHUDDIN )

(449-B.)

नया नाम :

( सैयद मिसबाहुद्दिन )  
( SAYD MISBAHUDDIN )  
Flat No. F-2, Plot No. 54,  
Firoz Appt., Nadeem Road,  
Bhopal (M. P.).

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम सौरभ शर्मा था, जो अब बदलकर सौरभ मिश्रा हो गया है. अतः अब मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( सौरभ शर्मा )

(450-बी.)

नया नाम :

( सौरभ मिश्रा )  
पता—भागीरथ कृपा,  
104/2/2, बिचौली हप्सी रोड, इन्दौर (म. प्र.).

**CHANGE OF NAME**

I, Vijay Singh Thakur S/o Mangat Ram Thakur Age about 49 Years R/o 476, Bangali Colony, Panchsheel Nagar, District Bhopal-462003 (M.P.) has change my name and hence-forth I, shall be known as, Vijay Singh (TO), Vijay Singh Thakur in future.

Old Name :

( VIJAY SINGH )

(451-B.)

New Name :

( VIJAY SINGH THAKUR )  
Address : 476, Bangali Colony,  
Panchsheel Nagar,  
District Bhopal-462003 (M.P.).

## विविध

### आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

#### कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, जिला दतिया

दतिया, दिनांक 22 नवम्बर, 2013

क्र./क्यू./आर.डी.एम./एस.जो./13.—माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण द्वारा प्रकरण क्र. 08/13 में पारित आदेश दिनांक 08 अक्टूबर, 2013 द्वारा शान्त क्षेत्र ( साइलेंस जोन ) घोषित किए जाने के आदेश दिए गए हैं।

चूंकि मुझे यह समाधान हो गया है कि लोक हित में जिला दतिया के विशिष्ट क्षेत्रों में उच्च ध्वनि तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। अतः मैं, रघुराज राजेन्द्रन, जिला मजिस्ट्रेट, जिला दतिया मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दतिया जिले के दतिया नगरीय क्षेत्र में जिला एवं सत्र न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर, जिला चिकित्सालय, पी. जी. कॉलेज, शासकीय कन्या महाविद्यालय, श्रीरावतपुरा सरकार संस्थान, शास. उत्कृष्ट विद्यालय, दतिया एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों, शैक्षिक संस्थाओं और न्यायालयों के आसपास 100 मीटर की दूरी तक क्षेत्र को शान्त क्षेत्र घोषित करता हूं। यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता पाया जाता है तो वह मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा-5 (1), (2) एवं 16 अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

रघुराज राजेन्द्रन,  
जिला मजिस्ट्रेट.

(690)

### न्यायालयों की सूचनाएं

#### न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

यादव अहिर समाज सामुहिक विवाह तथा शैक्षणिक धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास, कार्यालय 105, नार्थ मुसाखेडी, इन्दौर, मध्यप्रदेश की ओर से श्री ओमप्रकाश पिता छोटेलाल यादव, निवासी—105, नार्थ मुसाखेडी, इन्दौर, मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

#### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	यादव अहिर समाज सामुहिक विवाह तथा शैक्षणिक धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास.
कार्यालय	:	105, नार्थ मुसाखेडी, इन्दौर, मध्यप्रदेश
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 10,000/- (अक्षरी रुपये दस हजार मात्र).

आज दिनांक 05 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(689)

## ( फॉर्म-चार )

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 ( तीस ) ( 95 ) की धारा-5 ( 2 ) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 ( 1 ) के अन्तर्गत ]

पंच राजपूत ( जीनगर ) समाज, इन्दौर ट्रस्ट, कार्यालय 23, देवेन्द्र नगर, अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर, मध्यप्रदेश की ओर से श्री राजेश पिता नंदकिशोर पंवार, निवासी 60, चाणक्यपुरी, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् ( 30 दिन ) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

## परिशिष्ट

( पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण )

ट्रस्ट का नाम	:	पंच राजपूत ( जीनगर ) समाज, इन्दौर ट्रस्ट.
कार्यालय	:	23, देवेन्द्र नगर, अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर, म. प्र.
अचल सम्पत्ति	:	आड़ा बाजार, इन्दौर स्थित म्यु. प. नं. 20 की खुली जमीन ( प्लाट ) लम्बाई 77 फीट 3 इंच एवं चौड़ाई 12 फीट 2 इंच.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 10,000/- ( अक्षरी रुपये दस हजार मात्र ).

आज दिनांक 22 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

( 689-A )

## ( फॉर्म-चार )

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 ( तीस ) ( 95 ) की धारा-5 ( 2 ) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 ( 1 ) के अन्तर्गत ]

श्री विष्णु भक्त शनि देव मंदिर धार्मिक एवं पारमार्थिक जनकल्याण ट्रस्ट, कार्यालय 67/5, जवाहर मार्ग, स्ट्रीट नं. 5, शनि मंदिर, इन्दौर की ओर से श्री मनोहरलाल पिता किशोरीलाल जोशी, निवासी 155, विश्वकर्मा नगर, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् ( 30 दिन ) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

## परिशिष्ट

( पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण )

ट्रस्ट का नाम	:	श्री विष्णु भक्त शनि देव मंदिर धार्मिक एवं पारमार्थिक जनकल्याण ट्रस्ट.
कार्यालय	:	67/5, जवाहर मार्ग, स्ट्रीट नं. 5, शनि मंदिर, इन्दौर.
अचल सम्पत्ति	:	जिस पर शनि मंदिर स्थित है, जो कि 67, जवाहर मार्ग, गली नम्बर 5 स्थित है. क्षेत्रफल 248 वर्गफीट है.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 5,000/- ( अक्षरी रुपये पाँच हजार मात्र ).

आज दिनांक 22 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

( 689-B )

विजय कुमार अग्रवाल,  
रजिस्ट्रार.

## अन्य सूचनाएं

### कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/1510, दिनांक 03 अगस्त, 2012 द्वारा श्री पी. के. गर्ग, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के स्थान पर मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को निम्नलिखित सहकारी संस्था का धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	शिवरामपुरम् गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	डी.आर./जी.डब्ल्यू.आर./193, दिनांक 10-08-1992	परिसमापन/2002/2065, दिनांक 11-09-2002

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियाँ परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेडस्टॉक, संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यवत् मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना आज दिनांक 27 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई है.

(688)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/1510, दिनांक 03 अगस्त, 2012 द्वारा श्री पी. के. गर्ग, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के स्थान पर मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को निम्नलिखित सहकारी संस्था का धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	पत्रकार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	डी.आर./जी.डब्ल्यू.आर./88, दिनांक 09-03-1981	परिसमापन/1998/510, दिनांक 22-09-1998

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियाँ परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ

के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेडस्टॉक, संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यवत् मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना आज दिनांक 27 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई है।

(688-A)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/1510, दिनांक 03 अगस्त, 2012 द्वारा श्री पी. के. गर्ग, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के स्थान पर मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को निम्नलिखित सहकारी संस्था का धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री लक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	डी.आर./जी.डब्ल्यू.आर./152, दिनांक 12-09-1989	परिसमापन/2012/1151, दिनांक 12-05-1998

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियाँ परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेडस्टॉक, संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यवत् मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना आज दिनांक 27 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई है।

(688-B)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/1510, दिनांक 03 अगस्त, 2012 द्वारा श्री पी. के. गर्ग, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के स्थान पर मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को निम्नलिखित सहकारी संस्था का धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:—



क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	टेलीफोन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	डी.आर./जी.डब्ल्यू.आर./78, दिनांक 12-09-1979	परिसमापन/2000/3882, दिनांक 10-11-2000

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियाँ परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्तियाँ मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियाँ, डेडस्टॉक, संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियाँ बोगस/शून्यवत् मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना आज दिनांक 27 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

के. आर. शर्मा,

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(688-C)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियाँ, जिला ग्वालियर

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57-सी के अन्तर्गत)

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	न्यू विकलांग कल्याण यूनियन प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, ग्वालियर	ए.आर./जी.डब्ल्यू.आर./871, दिनांक 27-11-1997	परिसमापन/2013/1114, दिनांक 26-07-2013

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियाँ परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्तियाँ मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियाँ, डेडस्टॉक, संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियाँ बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 27 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई है।

आनन्द कुमार,

(688-D)

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 19 अगस्त, 2013

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./विधि/2013/452.— श्रीराम महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, बुरहानपुर पंजीयन क्रमांक डी.आर./केडब्ल्यूए/1487, दिनांक 30 जून, 1993 के संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन करने हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वाचन/2012/79, दिनांक 28 जनवरी, 2012 से श्री पी. एम. सोनवणे, सहकारी निरीक्षक को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था. आदेश उपरांत निर्वाचन अधिकारी द्वारा संस्था से निर्वाचन करने हेतु सतत् प्रयास किये जाने के उपरांत भी संस्था द्वारा सदस्यता सूची प्रस्तुत नहीं की गई. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2012/329, दिनांक 22 मई, 2012 द्वारा संचालक मण्डल का कार्यकाल दिनांक 03 अक्टूबर, 2011 को समाप्त हो जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (8) के तहत संचालक मंडल को अधिग्रहित कर प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की गई जो वर्तमान में भी अधिग्रहण में है. संस्था द्वारा निर्वाचन कराने हेतु कोई प्रयास नहीं किये जाने अथवा निर्वाचन कराने में रुचि नहीं लेने से संस्था को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/2013/216, बुरहानपुर, दिनांक 17 मई, 2013 से निम्न आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया .—

1. संस्था सदस्य निर्वाचन कराने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों तथा पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

संस्था के प्रभारी अधिकारी एवं प्रबंधक के संयुक्त हस्ताक्षर से उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर कार्यालय में दिनांक 08 जून, 2013 को प्रस्तुत किया गया. संस्था द्वारा प्रस्तुत उत्तर के संलग्न में संस्था प्रबंधक ने संस्था की 157 सदस्यों की सूची प्रस्तुत करते हुए पत्र में दर्शाया गया कि दिनांक 30 जून, 2009 में 39 सदस्य एवं 25 सितम्बर, 2009 में 16 सदस्य इस प्रकार कुल 55 सदस्यों की सदस्यता खारिज करने हेतु लिखित आवेदन अनुसार संचालक मण्डल द्वारा इनकी सदस्यता खारिज की गई एवं आवेदन में अंशपूंजी वापसी का उल्लेख नहीं होने से अंशपूंजी वापस नहीं की जा सकी है. दिनांक 30 जून, 2011 में 47 सदस्यों तथा दिनांक 25 सितम्बर, 2011 को संस्था द्वारा 42 सदस्यों के आवेदन अनुसार संचालक मण्डल द्वारा सदस्यता प्रदान करने का निर्णय लिया गया. पत्र के संलग्न सदस्यता प्रदान करने के 89 आवेदन-पत्र संलग्न किये गये किन्तु सदस्यता समाप्त करने के आवेदन-पत्र संलग्न नहीं किये जाने से कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/2013/268, दिनांक 01 जुलाई, 2013 द्वारा पत्र जारी कर प्रभारी अधिकारी एवं प्रबंधक की व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक 08 जुलाई, 2013 को की गई. व्यक्तिगत सुनवाई दौरान दस्तावेजों में संस्था की सदस्यता पंजी के 08 पृष्ठों की प्रमाणित छायाप्रति, कार्यवाही पंजी के 21 पृष्ठों की छायाप्रति, सदस्यता समाप्ति के आवेदन 56 आवेदन-पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति तथा नये 89 सदस्यों के बनाये जाने संबंधी आवेदन-पत्रों की छायाप्रति प्रस्तुत की गई. प्रभारी अधिकारी एवं प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं कथन अनुसार जिन 56 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हुई है एवं अंशपूंजी राशि वापिस नहीं की है उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक/विधि/13/327, दिनांक 30 जुलाई, 2013 जारी कर पत्रों की तामिली कराने हेतु संस्था प्रबंधक को दिये जाने पर उक्त सदस्यों को तामिली नहीं कराई गई. सदस्यों को पत्रों की तामिली नहीं कराई जाने से पुनः उक्त 56 सदस्यों को वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु दिनांक 13 अगस्त, 2013 की तिथि नियत कर कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक/विधि/31/428, दिनांक 07 अगस्त, 2013 जारी कर उपलब्ध पत्र पर पत्र डाक से भेजा गया. नियत दिनांक 13 अगस्त, 2013 को कार्यालय में संस्था के 4 सदस्य स्वयं तथा 5 सदस्यों के रिश्तेदार उपस्थित हुए जिनमें 4 सदस्यों द्वारा प्रस्तुत कथन में कहा गया कि संस्था द्वारा उनकी सदस्यता फर्जी एवं गलत तरीके से समाप्त की गई है. जबकि उन्होंने सदस्यता समाप्ति हेतु संस्था में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया और न ही किसी आवेदन पर उनके द्वारा हस्ताक्षर किये गये, संस्था द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत सदस्यता समाप्ति के आवेदन-पत्र में किये गये हस्ताक्षर फर्जी होना कथन में बताया गया. संस्था सदस्यों के उपस्थित रिश्तेदारों में श्री रमेश द्वारा कहा गया कि उनकी पत्नी भागूबाई आज दिनांक

13 अगस्त, 2013 को खण्डवा जाने से उनके स्थान पर कथन हेतु उपस्थित हुये जिन्होंने संस्था से भागूबाई की सदस्यता समाप्ति के आवेदन का अवलोकन कर कथन में कहा कि आवेदन-पत्र में जो हस्ताक्षर हैं वह उनकी पत्नि के नहीं होकर फर्जी हैं। इसी प्रकार श्री जीवन द्वारा भी उनके पत्नी के बाहर गाँव खैगावड़ा जाने से उपस्थित होकर सदस्यता समाप्ति के आवेदन का अवलोकन कर कथन में कहा गया कि आवेदन-पत्र में जो अंगूठा निशानी है वह फर्जी है, उनकी पत्नि हस्ताक्षर करती है। श्री अनिल कुमार दशोरे द्वारा उनकी माँ शकुन्तलाबाई बाहर गाँव नांदुरा महाराष्ट्र जाने से उपस्थित होकर सदस्यता समाप्ति के आवेदन का अवलोकन कर कथन में कहा गया कि आवेदन में जो अंगूठा निशानी लगी है वह गलत है जबकि उनकी माताजी हस्ताक्षर करती हैं। इसी प्रकार श्री ओंकार पूनमचंद द्वारा उनकी बहन कुसुम पिता पूनमचंद की 18 वर्ष पूर्व विवाह हो जाने से खण्डवा में निवास करती है। सूचना-पत्र के आधार पर वे उपस्थित हुए हैं तथा सदस्यता समाप्ति के आवेदन-पत्र का अवलोकन कर कथन में कहा गया कि उनकी बहन द्वारा संस्था में सदस्यता समाप्ति हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा जो आवेदन है उसमें हस्ताक्षर के स्थान पर भागूबाई लिखा है। इसी प्रकार श्री संतोष पिता परशराम सावले उनकी माताजी श्रीमती रूपाबाई एवं पत्नि श्रीमती राधाबाई की ओर से उपस्थित हुए जिन्होंने अपने कथन में सदस्यता समाप्ति के दोनों आवेदन-पत्रों के अवलोकन उपरांत कहा कि उनकी माताजी श्रीमती रूपाबाई बीमार हैं तथा 65 वर्ष की हो चुकी हैं, इस हेतु उपस्थित नहीं हो सकी तथा उनकी पत्नि राधाबाई वर्ष 2006 में दिनांक 10 फरवरी, 2006 को दुर्घटना में फौत हो चुकी है तथा आवेदन-पत्रों में हस्ताक्षर फर्जी होकर गलत है। उपरोक्त चार सदस्यों तथा सदस्यों के पाँच रिश्तेदारों के कथनों से संस्था के जवाब विरोधाभाषी होने के कारण संस्था की कार्यालयीन पंजीयन नस्ती के संलग्न प्रवर्तक सदस्यों की सूची के प्रारूप, संस्था द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक 08 जुलाई, 2013 में प्रस्तुत सदस्यता पंजी की छायाप्रति एवं सदस्यता समाप्ति के आवेदन-पत्रों की छायाप्रति में सदस्यों के हस्ताक्षर का मिलान संबंधी परीक्षण किया गया। जिसमें निम्नानुसार वस्तुस्थिति पाई गई :-

**(1) प्रवर्तक सदस्यों की सूची से प्रस्तुत सदस्यता पंजी तथा सदस्यता समाप्ति के आवेदन-पत्रों के हस्ताक्षरों में भिन्नता—**

1. संस्था की प्रवर्तक सदस्य सूची के क्रमांक 5 पर अंकित शांताबाई पति लालू चौधरी द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं जबकि सदस्यता पंजी एवं सदस्यता समाप्ति के आवेदन-पत्र पर अंगूठा निशानी है।
2. संस्था की प्रवर्तक सदस्य सूची के क्रमांक 6 पर अंकित शोभाबाई पति दिलिप चंदेल के हस्ताक्षर हैं जबकि सदस्यता पंजी एवं सदस्यता समाप्ति के आवेदन-पत्र पर किये गये हस्ताक्षर प्रवर्तक सदस्य सूची से भिन्न है।
3. संस्था की प्रवर्तक सदस्य सूची के क्रमांक 8 पर अंकित कलावतीबाई देवीदास के हस्ताक्षर हैं जबकि सदस्यता पंजी एवं सदस्यता समाप्ति के आवेदन-पत्र पर किये गये हस्ताक्षर प्रवर्तक सदस्य सूची से भिन्न है।
4. संस्था की प्रवर्तक सदस्य सूची के क्रमांक 10 पर अंकित कुसुमबाई पिता पूनमचंद सावले द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं जबकि सदस्यता पंजी में अंगूठा निशानी है तथा सदस्यता समाप्ति के आवेदन-पत्र पर भागूबाई के नाम से हस्ताक्षर हैं।
5. संस्था की प्रवर्तक सदस्य सूची के क्रमांक 11 पर अंकित शकुन्तलाबाई लखनलाल द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं जबकि सदस्यता पंजी एवं सदस्यता समाप्ति के आवेदन-पत्र पर अंगूठा निशानी है।
6. संस्था की प्रवर्तक सदस्य सूची के क्रमांक 12 पर अंकित हिरूबाई हरीप्रसाद सावले द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं जबकि सदस्यता पंजी एवं सदस्यता समाप्ति के आवेदन-पत्र पर अंगूठा निशानी है।
7. संस्था की प्रवर्तक सदस्य सूची के क्रमांक 15 पर अंकित कस्तूराबाई लालचंद चौहान द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं जबकि सदस्यता पंजी एवं सदस्यता समाप्ति के आवेदन-पत्र पर अंगूठा निशानी है।
8. संस्था की प्रवर्तक सदस्य सूची के क्रमांक 17 पर अंकित कमलाबाई केशव सावले द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं जबकि सदस्यता पंजी एवं सदस्यता समाप्ति के आवेदन-पत्र पर अंगूठा निशानी है।
9. संस्था की प्रवर्तक सदस्य सूची के क्रमांक 19 पर अंकित गुलाबबाई देवचंद सावले द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं जबकि सदस्यता पंजी एवं सदस्यता समाप्ति के आवेदन-पत्र पर अंगूठा निशानी है।
10. संस्था की प्रवर्तक सदस्य सूची के क्रमांक 23 पर अंकित भागूबाई पति देवराम चौहान द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं जबकि सदस्यता पंजी एवं सदस्यता समाप्ति के आवेदन-पत्र पर अंगूठा निशानी है।
11. संस्था की प्रवर्तक सदस्य सूची के क्रमांक 24 पर अंकित कुमारी गंगाबाई पिता लक्ष्मण चौहान द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं जबकि सदस्यता पंजी एवं सदस्यता समाप्ति के आवेदन-पत्र पर अंगूठा निशानी है।

12. संस्था की प्रवर्तक सदस्य सूची के क्रमांक 33 पर अंकित लताबाई गणपत मोरे द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं जबकि सदस्यता पंजी एवं सदस्यता समाप्ति के आवेदन-पत्र पर अंगूठा निशानी है।
13. संस्था की प्रवर्तक सदस्य सूची के क्रमांक 42 पर अंकित कविता पति संतोष पाटीदार द्वारा हस्ताक्षर अंग्रेजी में किये गये हैं जबकि सदस्यता पंजी एवं सदस्यता समाप्ति के आवेदन-पत्र पर किये गये हस्ताक्षर हिन्दी में है।
14. संस्था की प्रवर्तक सदस्य सूची के क्रमांक 44 पर अंकित विभा पिता गुलाबचंद पाटीदार द्वारा हस्ताक्षर अंग्रेजी में किये गये हैं जबकि सदस्यता पंजी एवं सदस्यता समाप्ति के आवेदन-पत्र पर किये गये हस्ताक्षर हिन्दी में है।
15. संस्था की प्रवर्तक सदस्य सूची के क्रमांक 45 पर अंकित उर्मिला पति फूलचंद पाटीदार के हस्ताक्षर हैं जबकि सदस्यता पंजी एवं सदस्यता समाप्ति के आवेदन-पत्र पर किये गये हस्ताक्षर प्रवर्तक सदस्य सूची से भिन्न है।
16. संस्था की प्रवर्तक सदस्य सूची के क्रमांक 46 पर अंकित नंदिनी पति भूपेन्द्र पाटीदार द्वारा हस्ताक्षर अंग्रेजी में किये गये हैं जबकि सदस्यता पंजी एवं सदस्यता समाप्ति के आवेदन-पत्र पर किये गये हस्ताक्षर हिन्दी में है।
17. संस्था की प्रवर्तक सदस्य सूची के क्रमांक 47 पर अंकित शीलाबाई पति जवाहर पाटीदार के हस्ताक्षर हैं जबकि सदस्यता पंजी एवं सदस्यता समाप्ति के आवेदन-पत्र पर किये गये हस्ताक्षर प्रवर्तक सदस्य सूची से भिन्न है।
18. संस्था की प्रवर्तक सदस्य सूची के क्रमांक 48 पर अंकित शोभाबाई पति काशिनाथ चौधरी के हस्ताक्षर हैं जबकि सदस्यता पंजी एवं सदस्यता समाप्ति के आवेदन-पत्र पर किये गये हस्ताक्षर प्रवर्तक सदस्य सूची से भिन्न है।
19. संस्था की प्रवर्तक सदस्य सूची के क्रमांक 49 पर अंकित सुशीलाबाई पति अमृतलाल पालीवाल के हस्ताक्षर हैं जबकि सदस्यता पंजी एवं सदस्यता समाप्ति के आवेदन-पत्र पर किये गये हस्ताक्षर प्रवर्तक सदस्य सूची से भिन्न है।
20. संस्था की प्रवर्तक सदस्य सूची के क्रमांक 52 पर अंकित नीलाबाई रविन्द्र गुजराती द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं जबकि सदस्यता पंजी एवं सदस्यता समाप्ति के आवेदन-पत्र पर अंगूठा निशानी है।

## ( 2 ) सदस्यता पंजी में नाम न होने के पश्चात् भी सदस्यता समाप्त करना

व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक 08 जुलाई, 2013 को प्रस्तुत सदस्यता पंजी एवं सदस्यता समाप्ति के 56 आवेदन-पत्रों में से आवेदन पत्र क्रमांक 08 जानकीबाई कन्हैयालाल, क्रमांक 20 सुमनबाई रोहिदास तथा क्रमांक 21 कमलाबाई आशाराम मोरे की सदस्यता समाप्त करना दर्शाई गई है किन्तु प्रस्तुत सदस्यता पंजी में उक्त तीनों सदस्यों के नाम अंकित नहीं हैं। संस्था की प्रवर्तक सदस्यों की सूची से मिलान करने पर उक्त तीनों सदस्यों के नाम क्रमशः क्रमांक 14, 35 एवं 36 पर अंकित है।

इस प्रकार संस्था द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ सूचना-पत्र के जवाब, संस्था प्रभारी अधिकारी एवं प्रबंधक की व्यक्तिगत सुनवाई, सदस्यता समाप्ति संबंधी वस्तुस्थिति से अवगत होने हेतु उपस्थित सदस्यों एवं सदस्यों के रिश्तेदारों के कथन तथा कार्यालयीन रिकार्ड प्रवर्तक सदस्यों की सूची से संस्था द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मिलान/परीक्षण से स्पष्ट होता है कि संस्था द्वारा दिनांक 30 जून, 2009 एवं 25 सितम्बर, 2009 को संचालक मण्डल की बैठक में जिन 56 सदस्यों की सदस्यता समाप्त की गई है, वह फर्जी रूप से समाप्त की जाना प्रमाणित होती है, जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (बी/ख) एवं (सी/ग) के उपबंधों के अनुरूप भी प्रमाणित है। जिससे यह स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से लगाये गये आरोप सिद्ध होते हैं। संस्था संचालक मंडल द्वारा दिनांक 30 जून, 2009 एवं 25 सितम्बर, 2009 को कुल 56 सदस्यों की सदस्यता नियमों के विपरीत समाप्त की गई है, जिसे बहाल करना वर्तमान में संभव न होने से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं का प्रयोग करते हुये एतद्वारा श्रीराम महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./केडब्ल्यूए/1487, दिनांक 30 जून, 1993 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री सी. एस. जूनागढ़े, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

बुरहानपुर, दिनांक 26 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

नवज्योति ग्रामीण पशुपालन सहकारी समिति मर्यादित, पातोंडा (पंजीयन क्रमांक 1900, दिनांक 05 फरवरी, 2004) को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/12/57, बुरहानपुर, दिनांक 25 जनवरी, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी. एम. सोनवणे, सहकारी निरीक्षक सहकारिता को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुशंसा की गई है. संस्था के परिसमापक द्वारा लेनदारियां एवं देनदारियां निरंक की जा चुकी है तथा सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर द्वारा अंतिम अंकेक्षण टीप पारित की गई है. संस्था परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवज्योति ग्रामीण पशुपालन सहकारी समिति मर्यादित, पातोंडा (पंजीयन क्रमांक 1900, दिनांक 05 फरवरी, 2004) का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(661-A)

बुरहानपुर, दिनांक 26 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/474.—यह कि श्री जयंतीलाल चंपालाल नवलखे, निवासी इतवारा, बुरहानपुर द्वारा आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सर्तकता प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल को अल्फा पावरलूम एक्सपोर्ट को-ऑप. सोसायटी लि., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1814, दिनांक 20 फरवरी, 2001 के पंजीयन निरस्त करने के संबंध में की गई शिकायत की जाँच हेतु आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, भोपाल के पत्र क्रमांक/विविध/02/2013/12, भोपाल, दिनांक 15 फरवरी, 2013 से प्राप्त होने पर श्री सी. एस. जूनागढ़े, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, बुरहानपुर से कराई जाकर जाँच प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/शिकायत/2013/231, दिनांक 04 जून, 2013 से आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, म. प्र. भोपाल को प्रेषित किया गया. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, म. प्र. भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक/विविध/शिकायत/13/56 भोपाल, दिनांक 26 जून, 2013 से अल्फा पावरलूम एक्सपोर्ट को-ऑप. सोसायटी लि., बुरहानपुर की जाँच में पाये गये निम्न कारणों:—

1. संस्था के पंजीकृत उपविधि अनुसार संस्था द्वारा एक्सपोर्ट उद्देश्य की पूर्ति शिकायत अवधि वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक की अवधि में नहीं की जाना जाँच प्रतिवेदन अनुसार प्रमाणित है. जिसे श्री मो. इकराम अंसारी पिता हाजी मो. सलीम अध्यक्ष द्वारा जांच अधिकारी को संबोधित अपने पत्र दिनांक 01-04-2013 में बिंदु क्रमांक 1 से स्वीकार किया गया है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया है, उसकी पूर्ति करने में सर्वथा असफल रही है. इससे स्पष्ट होता है कि जिन प्रयोजनों के लिए संस्था पंजीकृत की गई है उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है तथा शिकायत का उक्त बिंदु सिद्ध पाया गया.
3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों तथा पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/2013/303 बुरहानपुर, दिनांक 17 जुलाई, 2013 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया जिसकी तामीली संस्था अध्यक्ष/प्रबंधक एवं संस्था के समस्त संचालकों को पंजीकृत डाक से अभिस्वीकृति के साथ कराई गई जिसकी अभिस्वीकृति कार्यालयीन नस्ती में रखी गई है. कारण बताओ सूचना-पत्र द्वारा चाहा गया था कि 30 दिवस के अंदर समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावे, किन्तु निर्धारित समयवधि

बीत जाने के उपरांत भी संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। संस्था के पत्र दिनांक 16 अगस्त, 2013 द्वारा पत्र प्रस्तुत किया जाकर कारण बताओ सूचना-पत्र के उत्तर के लिये समय बढ़ाये जाने बाबत प्रस्तुत किया जाकर उत्तर के लिये संस्था को 10 दिन का समय और दिया जावे। संस्था को 10 दिन का समय उत्तर प्रस्तुत किये जाने के लिये दिया गया, परन्तु संस्था द्वारा 10 दिन की समयवाधि में भी कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से लगाये गये आरोपों से सहमत है। इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये अल्फा पावरलूम एक्सपोर्ट को-ऑप. सोसायटी लि., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1814, दिनांक 20 फरवरी, 2001 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री सी. एस. जूनागढ़े, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(661-B)

बुरहानपुर, दिनांक 17 जुलाई, 2013

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/303.—यह कि श्री जयंतीलाल चंपालाल नवलखे, निवासी इतवारा, बुरहानपुर द्वारा आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सर्तकता प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल को अल्फा पावरलूम एक्सपोर्ट को-ऑप. सोसायटी लि., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1814, दिनांक 20 फरवरी, 2001 के पंजीयन निरस्त करने के संबंध में की गई शिकायत की जाँच हेतु आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, भोपाल के पत्र क्रमांक/विविध/02/2013/12, भोपाल, दिनांक 15 फरवरी, 2013 से प्राप्त होने पर श्री सी. एस. जूनागढ़े, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, बुरहानपुर से कराई जाकर जाँच प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/शिकायत/2013/231, दिनांक 04 जून, 2013 से आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, म. प्र. भोपाल को प्रेषित किया गया। आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, म. प्र. भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक/विविध/शिकायत/13/56 भोपाल, दिनांक 26 जून, 2013 से अल्फा पावरलूम एक्सपोर्ट को-ऑप. सोसायटी लि., बुरहानपुर की जाँच में सिद्ध पाये गये आरोपों के संदर्भ में नियमानुसार एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त संदर्भित पत्रों एवं जाँच प्रतिवेदन के आधार पर पाया गया कि—

1. संस्था के पंजीकृत उपविधि अनुसार संस्था द्वारा एक्सपोर्ट उद्देश्य की पूर्ति शिकायत अवधि वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक की अवधि में नहीं की जाना जाँच प्रतिवेदन अनुसार प्रमाणित है। जिसे श्री मो. इकराम अंसारी पिता हाजी मो. सलीम अध्यक्ष द्वारा जांच अधिकारी को संबोधित अपने पत्र दिनांक 01-04-2013 में बिंदु क्रमांक 1 से स्वीकार किया गया है।
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया है, उसकी पूर्ति करने में सर्वथा असफल रही है। इससे स्पष्ट होता है कि जिन प्रयोजनों के लिए संस्था पंजीकृत की गई है उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है तथा शिकायत का उक्त बिंदु सिद्ध पाया गया।
3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों तथा पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।

उक्त वर्णित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये अल्फा पावरलूम एक्सपोर्ट को-ऑप. सोसायटी लि., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1814, दिनांक 20 फरवरी, 2001 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे?

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से तीस दिवस के

अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करे. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 17 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(661-C)

जे. एल. बरडे,  
उप-पंजीयक.

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर

मन्दसौर, दिनांक 29 जून, 2013

दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., गुदियाना, तहसील व जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 869, दिनांक 20 जुलाई, 2006 है, को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/1099/2012, दिनांक 06 अक्टूबर, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री राजेश अग्रवाल, उप-अंकेक्षक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें स्वत्व सम्बन्धी कोई कार्यवाही शेष नहीं है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं सहमत हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ कि संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(662)

मन्दसौर, दिनांक 31 जुलाई, 2013

चेतना महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सेजपुरिया, तहसील व जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 841, दिनांक 16 अगस्त, 2000 है, को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/1542/2009, दिनांक 05 सितम्बर, 2009 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री व्ही. एस. मालवीय कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें स्वत्व सम्बन्धी कोई कार्यवाही शेष नहीं है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं सहमत हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ कि संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(662-A)

मन्दसौर, दिनांक 06 अगस्त, 2013

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

1. दुग्ध सहकारी समिति मर्या., सेमली, तहसील सुवासरा, पंजीयन क्रमांक 720, दिनांक 16-06-1994
2. दुग्ध सहकारी समिति मर्या., रहीमगढ़, तहसील सुवासरा, पंजीयन क्रमांक 742, दिनांक 20-02-1995

3. दुग्ध सहकारी समिति मर्या., प्रतापपुरा, तहसील सुवासरा, पंजीयन क्रमांक 694, दिनांक 07-07-1993
4. दुग्ध सहकारी समिति मर्या., देवरियाविजय, तहसील सुवासरा, पंजीयन क्रमांक 695, दिनांक 07-07-1993
5. दुग्ध सहकारी समिति मर्या., चिकनिया, तहसील गरोठ, पंजीयन क्रमांक 763, दिनांक 14-06-1995

प्रभारी प्रबन्धक (क्षै. स.) दुग्ध संयंत्र मन्दसौर ने अपने कार्यालयीन पत्र क्रमांक 554/क्षै.स./2013, दिनांक 12 जून, 2013 से इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि आपकी दुग्ध सहकारी संस्था उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार दुग्ध व्यवसाय नहीं करते हुए अकार्यशील होकर बन्द है. यह भी अवगत कराया गया है कि दुग्ध उत्पादकों संस्था के व्यवसाय में कोई रुचि नहीं है. प्रभारी प्रबन्धक मन्दसौर द्वारा आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र./एफ 5-1-99 पन्द्रह-एक सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला मन्दसौर यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. आप अपना उत्तर दिनांक 26 अगस्त, 2013 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 06 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(662-B)

मन्दसौर, दिनांक 14 अगस्त, 2013

दुर्गा मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., बसई, तहसील सुवासरा, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 786, दिनांक 30 अक्टूबर, 1995 है, को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/785/13, दिनांक 01 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री के. एल. वधवा, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

दुर्गा मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., बसई के पूर्व अध्यक्ष एवं श्री के. एल. वधवा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की सिफारिश की गई. संस्था के सदस्यों के हितों को संरक्षण देने की दृष्टि से संस्था का अस्तित्व में रहना एवं उसे पुनर्जीवित करना मेरे मत से उचित है. अतः मैं, भारतसिंह चौहान, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए दुर्गा मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., बसई, तहसील सुवासरा, जिला मन्दसौर को इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/785, दिनांक 01 फरवरी, 2013 को निरस्त करते हुए इस शर्त पर संस्था को पुनर्जीवित करता हूँ कि संस्था एक माह के भीतर सभी अक्रियाशील सदस्यों का निष्कासन करे तथा मत्स्य महासंघ के नियमों का पालन करे एवं प्रस्तुत शपथ-पत्र अनुसार आई.सी.डी.पी. की ऋण राशि की किश्तों का भुगतान समय-समय पर करते हुए इस कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करें. संस्था के आगामी कार्य संचालन हेतु निर्मांकित सदस्यों की प्रबन्धकारिणी कमेटी आगामी 03 माह के लिए नामांकित की जाती है. कमेटी निम्नानुसार है :-

श्री हीरालाल पिता भँवरलाल	अध्यक्ष
श्री अम्बालाल पिता ताराचन्द्र	सदस्य
श्री राधेश्याम पिता लक्ष्मण	सदस्य
श्री भुवान पिता शंकरलाल	सदस्य
श्री के. एल. वधवा (स. नि.)	सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 14 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(662-C)

भारतसिंह चौहान,  
उप-पंजीयक.



## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2013/2011.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 273, दिनांक 06 फरवरी, 2008 द्वारा दिनदयाल यातायात सह. संस्था मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1026, दिनांक 13 दिसम्बर, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री विनायक राजुरकर, सह. निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(663)

उज्जैन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2013/2011.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 266, दिनांक 06 फरवरी, 2008 द्वारा अन एम्पलाईज वुमन साख सह. संस्था मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 462, दिनांक 05 अप्रैल, 1980 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री राजेश शेर, उप-अंके. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(663-A)

उज्जैन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2013/2011.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2046, दिनांक 03 सितम्बर, 2010 द्वारा विक्रम समाचार पत्र प्रकाशन एवं मुद्रण सह. संस्था मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1090, दिनांक 27 फरवरी, 1994 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री राजेश शेर, उप-अंके. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(663-B)

उज्जैन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2013/2011.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1084, दिनांक 13 फरवरी, 1992 द्वारा चर्मशोधक एवं चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., फतेहाबाद, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 126, दिनांक 29 अगस्त, 1961 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री बी. एस. बख्तरिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(663-C)

उज्जैन, दिनांक 27 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2013/2008.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2484, दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरडिया जिसका पंजीयन क्रमांक 780, दिनांक 24 मार्च, 1988 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री नरसिंह कनेल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(663-D)

उज्जैन, दिनांक 27 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2013/2007.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2384, दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिरोलाकला जिसका पंजीयन क्रमांक 776, दिनांक 24 मार्च, 1988 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री नरसिंह कनेल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(663-E)

उज्जैन, दिनांक 27 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2013/2006.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1077, दिनांक 28 मई, 2012 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिलोदामोरी जिसका पंजीयन क्रमांक 865, दिनांक 26 जुलाई, 1989 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(663-F)

उज्जैन, दिनांक 27 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2013/2009.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3284, दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नवादा जिसका पंजीयन क्रमांक 435, दिनांक 22 मार्च, 1977 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(663-G)

उज्जैन, दिनांक 27 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2013/2005.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1082, दिनांक 28 मई, 2012 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामावासा जिसका पंजीयन क्रमांक 838, दिनांक 04 मार्च, 1989 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(663-H)

उज्जैन, दिनांक 27 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2013/2004.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2384, दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चितामन जवासिया जिसका पंजीयन क्रमांक 716, दिनांक 24 सितम्बर, 1985 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(663-I)

उज्जैन, दिनांक 27 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2013/2003.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2384, दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मतानाकला जिसका पंजीयन क्रमांक 379, दिनांक 20 अगस्त, 1976 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(663-J)

उज्जैन, दिनांक 27 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2013/2002.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1246, दिनांक 19 जून, 2012 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खजुरिया कुमावत जिसका पंजीयन क्रमांक 471, दिनांक 25 अगस्त, 1980 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(663-K)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1392, दिनांक 01 अप्रैल, 1971 द्वारा बहुउद्देशीय चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., चंदेशरा, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 06, दिनांक 18 नवम्बर, 1960 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री बी. एस. बख्तरिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(663-L)

उज्जैन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2013/2011.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 4248, दिनांक 07 अगस्त, 1968 द्वारा चर्मशोधक एवं चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., डाबला रेहवारी, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 153, दिनांक 05 सितम्बर, 1992 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री बी. एस. बख्तरिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(663-M)

उज्जैन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2013/2011.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 486, दिनांक 02 फरवरी, 1984 द्वारा गंगामाता चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., झीतरखेड़ी, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 184, दिनांक 25 मई, 1963 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री बी. एस. बख्तरिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,

उप-पंजीयक.

(663-N)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता अधिकारी, जनपद पंचायत, नरसिंहपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर के पत्र क्र./182, दिनांक 01 मार्च, 2013 एवं 227, नरसिंहपुर दिनांक 11 मार्च, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित परिसमापनाधीन समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्रमांक	नाम सहकारी समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	आदेश क्रमांक
1.	तिलहन उत्पादक सह. समि., धमना	299/09-11-1987	733 ए, दि. 28-06-2010
2.	तिलहन उत्पादक सह. समि., लोकीपार	306/09-11-1987	733 ए, दि. 28-06-2010
3.	तिलहन उत्पादक सह. समि., धुवघट	338/24-11-1988	733 ए, दि. 28-06-2010
4.	तिलहन उत्पादक सह. समि., डांगीठाना	291/03-11-1987	733 ए, दि. 28-06-2010
5.	तिलहन उत्पादक सह. समि., खुरपा	300/09-11-1987	733 ए, दि. 28-06-2010
6.	तिलहन उत्पादक सह. समि., खमतारा	304/09-11-1987	733 ए, दि. 28-06-2010
7.	तिलहन उत्पादक सह. समि., बहोरीपार	377/20-11-1989	733 ए, दि. 28-06-2010
8.	शेड कुम्हारी उद्योग सह. समि., चिरचिटा	165/04-08-1977	733 ए, दि. 28-06-2010
9.	श्रम ठेका सह. समि., नरसिंहपुर	405/04-01-1996	733 ए, दि. 28-06-2010
10.	सामूहिक कृषि सह. समि., सूखा खेरा	201/29-12-1988	733 ए, दि. 28-06-2010
11.	कर्मचारी साख कल्याण सह. समि., नर.	466/03-07-2013	733 ए, दि. 28-06-2010
12.	जिला शिक्षक कल्याण सह. समि. नरसिंहपुर	11/1977	182/01-03-2013
13.	गालव महिला औद्योगिक सह. समि. नर.	594/28-03-2006	227/11-03-2013

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम क्र. 57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो, मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 27 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

ए. के. चौधरी,

परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(664)

### कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, नरसिंहपुर

नरसिंहपुर, दिनांक 22 जुलाई, 2013

क्र./उपन/पंजीयन/2013/826.—चर्मोद्योग सहकारी समिति, तिंदनी, तहसील एवं जिला नरसिंहपुर, पंजीयन क्र. 461, दिनांक 06 नवम्बर, 1995 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, नरसिंहपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था को परिसमापन में लाने का कारण संस्था की गतिविधियों को निष्क्रिय होना था.

संस्था के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का परीक्षण किया गया. प्रतिवेदन के परीक्षण में यह पाया गया कि संस्था के सदस्यों के हितों को संरक्षा की दृष्टि से संस्था का अस्तित्व में बना रहना एवं उसे पुनर्जीवित किया जाना उचित है.

अतः मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए चर्मोद्योग सहकारी समिति, तिंदनी, तहसील एवं जिला नरसिंहपुर का पंजीयन क्र. 461,

दिनांक 06 नवम्बर, 1995 का परिसमापन आदेश निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही साथ कार्यसंचालन हेतु नवीन निर्वाचन होने तक निम्नांकित सदस्यों की प्रबंधकारिणी कमेटी को नामांकित करता हूँ.—

क्र.	सदस्य का नाम/पिता का नाम	पद
1.	श्री तुलसीराम आ. श्री झुम्मक चौधरी	अध्यक्ष
2.	श्री हीरालाल आ. श्री कारेलाल चौधरी	उपाध्यक्ष
3.	श्री हाकम सिंह आ. श्री परमलाल चौधरी	सदस्य/संचालक
4.	मल्लू आ. श्री सुक्के चौधरी	सदस्य
5.	गेंदालाल आ. श्री गोपाल चौधरी	सदस्य
6.	कोमल आ. श्री शोभाराम चौधरी	सदस्य
7.	श्री रामसिंह आ. श्री जीवन चौधरी	सदस्य
8.	लाखनसिंह आ. श्री सुखलाल चौधरी	सदस्य
9.	मेरसिंह आ. श्री शंकरसिंह चौधरी	सदस्य
10.	श्रीमति चित्राबाई पति श्री विनोद चौधरी	सदस्य
11.	उजयार सिंह आ. श्री गोकल सिंह चौधरी	सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 22 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

डी. पी. सिंह,  
उप-रजिस्ट्रार.

(673)

### कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./2013/90, मण्डला, दिनांक 23 जनवरी, 2013 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मूडाडीह, वि. ख. मण्डला को पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने, निर्धारित समय सीमा में निर्वाचन नहीं कराने, संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. संदर्भित कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया. पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./478, दिनांक 09 मई, 2013 द्वारा स्मरण कराया गया इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये मैं, जी. पी. सोनकुसरे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मूडाडीह, पंजीयन क्रमांक 800 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एल. के. डेहरिया को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(665)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./2013/91, मण्डला, दिनांक 23 जनवरी, 2013 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बबलिया, वि. ख. नारायणगंज को पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने, निर्धारित समय सीमा में निर्वाचन नहीं कराने, संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. संदर्भित कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया. पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./479, दिनांक 09 मई, 2013 द्वारा स्मरण कराया गया इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये मैं, जी. पी. सोनकुसरे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बबलिया, पंजीयन क्रमांक 801 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. सी. अहिरवार को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(665-A)

मण्डला, दिनांक 31 जुलाई, 2013

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./2013/107, मण्डला, दिनांक 23 जनवरी, 2013 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, तरवानी, वि. ख. नारायणगंज को पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने, निर्धारित समय सीमा में निर्वाचन नहीं कराने, संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। संदर्भित कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./482, दिनांक 09 मई, 2013 द्वारा स्मरण कराया गया इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये मैं, जी. पी. सोनकुसरे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, तरवानी, पंजीयन क्रमांक 799 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. सी. अहिरवार को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(665-B)

मण्डला, दिनांक 31 जुलाई, 2013

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./2013/155, मण्डला, दिनांक 04 फरवरी, 2013 के द्वारा श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी समिति शंकरगंज, वि. ख. नारायणगंज को पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने, निर्धारित समय सीमा में निर्वाचन नहीं कराने, संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। संदर्भित कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./504, दिनांक 09 मई, 2013 द्वारा स्मरण कराया गया इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये मैं, जी. पी. सोनकुसरे, सहायक रजिस्ट्रार,



सहकारी समितियां, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी समिति शंकरगंज, वि. खं. नारायणगंज, पंजीयन क्रमांक 828 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. सी. अहिरवार को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(665-C)

मण्डला, दिनांक 31 जुलाई, 2013

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2013/156, मण्डला, दिनांक 4 फरवरी, 2013 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति, बिसौरा, वि. ख. निवास को पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने, निर्धारित समय सीमा में निर्वाचन नहीं कराने, संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. संदर्भित कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया. पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./505, दिनांक 09 मई, 2013 द्वारा स्मरण कराया गया इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयविधि में संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयविधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये मैं, जी. पी. सोनकुसरे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति बिसौरा, वि. ख. निवास, पंजीयन क्रमांक 826 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. सी. अहिरवार को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(665-D)

मण्डला, दिनांक 31 जुलाई, 2013

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2013/106, मण्डला, दिनांक 23 जनवरी, 2013 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खैरी, वि. ख. मंडला को पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने, निर्धारित समय सीमा में निर्वाचन नहीं कराने, संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. संदर्भित कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया. पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./476, दिनांक 09 मई, 2013 द्वारा स्मरण कराया गया इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयविधि में संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयविधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये मैं, जी. पी. सोनकुसरे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खैरी, वि. ख. मंडला, पंजीयन क्रमांक 797 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एल. के. डेहरिया को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(665-E)

मण्डला, दिनांक 31 जुलाई, 2013

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./2013/105, मण्डला, दिनांक 23 जनवरी, 2013 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पीपरपानी, वि. ख. मंडला को पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने, निर्धारित समय सीमा में निर्वाचन नहीं कराने, संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. संदर्भित कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया. पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./475, दिनांक 09 मई, 2013 द्वारा स्मरण कराया गया इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये मैं, जी. पी. सोनकुसरे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पीपरपानी, वि. ख. मंडला, पंजीयन क्रमांक 788 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एल. के. डेहरिया को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(665-F)

मण्डला, दिनांक 31 जुलाई, 2013

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./2013/104, मण्डला, दिनांक 23 जनवरी, 2013 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खारी, वि. ख. मंडला को पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने, निर्धारित समय सीमा में निर्वाचन नहीं कराने, संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. संदर्भित कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया. पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./474, दिनांक 09 मई, 2013 द्वारा स्मरण कराया गया इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये मैं, जी. पी. सोनकुसरे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खारी, वि. ख. मंडला, पंजीयन क्रमांक 787 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एल. के. डेहरिया को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(665-G)

मण्डला, दिनांक 31 जुलाई, 2013

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./2013/103, मण्डला, दिनांक 23 जनवरी, 2013 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, उमरिया, वि. ख. मंडला को पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने, निर्धारित समय सीमा में निर्वाचन नहीं कराने, संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. संदर्भित कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया. पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./473, दिनांक 09 मई, 2013 द्वारा स्मरण कराया गया इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये मैं, जी. पी. सोनकुसरे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, उमरिया, वि. ख. मंडला, पंजीयन क्रमांक 786 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एल. के. डेहरिया को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(665-H)

मण्डला, दिनांक 31 जुलाई, 2013

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./2013/101, मण्डला, दिनांक 23 जनवरी, 2013 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, ग्वारा, वि. ख. मंडला को पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने, निर्धारित समय सीमा में निर्वाचन नहीं कराने, संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। संदर्भित कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./472, दिनांक 09 मई, 2013 द्वारा स्मरण कराया गया इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये मैं, जी. पी. सोनकुसरे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, ग्वारा, वि. ख. मंडला, पंजीयन क्रमांक 845 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एल. के. डेहरिया को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(665-I)

मण्डला, दिनांक 31 जुलाई, 2013

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./2013/100, मण्डला, दिनांक 23 जनवरी, 2013 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, ढेंको, वि. ख. मंडला को पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने, निर्धारित समय सीमा में निर्वाचन नहीं कराने, संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। संदर्भित कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./471, दिनांक 09 मई, 2013 द्वारा स्मरण कराया गया इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये मैं, जी. पी. सोनकुसरे, सहायक रजिस्ट्रार,

सहकारी समितियां, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, ढेंको, वि. ख. मंडला, पंजीयन क्रमांक 844 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एल. के. डेहरिया को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(665-J)

मण्डला, दिनांक 31 जुलाई, 2013

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./2013/108, मण्डला, दिनांक 23 जनवरी, 2013 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बकछेरागोंदी, वि. ख. मंडला को पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने, निर्धारित समय सीमा में निर्वाचन नहीं कराने, संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. संदर्भित कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया. पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./477, दिनांक 09 मई, 2013 द्वारा स्मरण कराया गया इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये मैं, जी. पी. सोनकुसरे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बकछेरागोंदी, वि. ख. मंडला, पंजीयन क्रमांक 796 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एल. के. डेहरिया को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(665-K)

मण्डला, दिनांक 31 जुलाई, 2013

क्र./संपंम/परि./2013/663.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./2013/147, मण्डला, दिनांक 04 फरवरी, 2013 के द्वारा शहीद उदयचंद प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्यादित, मंडला, वि. ख. मंडला को पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने, निर्धारित समय सीमा में निर्वाचन नहीं कराने, संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था: संदर्भित कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया. पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./496, दिनांक 09 मई, 2013 द्वारा स्मरण कराया गया इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये मैं, जी. पी. सोनकुसरे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत शहीद उदयचंद प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्यादित, मंडला, वि. ख. मंडला, पंजीयन क्रमांक 517 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एल. के. डेहरिया को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(665-L)

मण्डला, दिनांक 31 जुलाई, 2013

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./2013/154, मण्डला, दिनांक 04 फरवरी, 2013 के द्वारा प्राथमिक घरेलू ईंधन सहकारी समिति मंडला, वि. ख. मंडला को पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने, निर्धारित समय सीमा में निर्वाचन नहीं कराने, संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. संदर्भित कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया. पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./503, दिनांक 09 मई, 2013 द्वारा स्मरण कराया गया इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये मैं, जी. पी. सोनकुसरे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत प्राथमिक घरेलू ईंधन सहकारी समिति मंडला, वि. ख. मंडला, पंजीयन क्रमांक 578 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एल. के. डेहरिया को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(665-M)

मण्डला, दिनांक 31 जुलाई, 2013

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./2013/102, मण्डला, दिनांक 23 जनवरी, 2013 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., निवारी, वि. ख. नैनपुर को पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने, निर्धारित समय सीमा में निर्वाचन नहीं कराने, संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. संदर्भित कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया. पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./483, दिनांक 09 मई, 2013 द्वारा स्मरण कराया गया इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये मैं, जी. पी. सोनकुसरे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., निवारी, वि. ख. नैनपुर पंजीयन क्रमांक 853 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. डी. कोरी, सह. वि. अधि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(665-N)

मण्डला, दिनांक 31 जुलाई, 2013

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./2013/99, मण्डला, दिनांक 23 जनवरी, 2013 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सर्री, वि. ख. नैनपुर को पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने, निर्धारित समय सीमा में निर्वाचन नहीं कराने, संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. संदर्भित कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया. पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./484, दिनांक 09 मई, 2013 द्वारा स्मरण कराया गया इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये मैं, जी. पी. सोनकुसरे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सर्री, वि. ख. नैनपुर, पंजीयन क्रमांक 843 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. डी. कोरी, सह. वि. अधि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(665-O)

मण्डला, दिनांक 31 जुलाई, 2013

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2013/98, मण्डला, दिनांक 23 जनवरी, 2013 के द्वारा प्राथ. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मुगदरा, वि. ख. नैनपुर को पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने, निर्धारित समय सीमा में निर्वाचन नहीं कराने, संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। संदर्भित कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./485, दिनांक 09 मई, 2013 द्वारा स्मरण कराया गया इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये मैं, जी. पी. सोनकुसरे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत प्राथ. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मुगदरा, वि. ख. नैनपुर, पंजीयन क्रमांक 842 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. डी. कोरी, सह. वि. अधि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(665-P)

मण्डला, दिनांक 31 जुलाई, 2013

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2013/97, मण्डला, दिनांक 23 जनवरी, 2013 के द्वारा प्राथ. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, जहरमउ, वि. ख. नैनपुर को पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने, निर्धारित समय सीमा में निर्वाचन नहीं कराने, संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। संदर्भित कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./486, दिनांक 09 मई, 2013 द्वारा स्मरण कराया गया इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त

पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये मैं, जी. पी. सोनकुसरे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत प्राथ. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, जहरमउ, वि. ख. नैनपुर, पंजीयन क्रमांक 840 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. डी. कोरी, सह. वि. अधि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(665-Q)

मण्डला, दिनांक 31 जुलाई, 2013

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2013/96, मण्डला, दिनांक 23 जनवरी, 2013 के द्वारा प्राथ. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बिचुआ, वि. ख. नैनपुर को पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने, निर्धारित समय सीमा में निर्वाचन नहीं कराने, संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. संदर्भित कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया. पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./487, दिनांक 09 मई, 2013 द्वारा स्मरण कराया गया इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये मैं, जी. पी. सोनकुसरे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत प्राथ. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बिचुआ, वि. ख. नैनपुर, पंजीयन क्रमांक 839 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. डी. कोरी, सह. वि. अधि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(665-R)

मण्डला, दिनांक 31 जुलाई, 2013

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2013/95, मण्डला, दिनांक 23 जनवरी, 2013 के द्वारा प्राथ. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, देल्हा, वि. ख. नैनपुर को पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने, निर्धारित समय सीमा में निर्वाचन नहीं कराने, संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. संदर्भित कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया. पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./488, दिनांक 09 मई, 2013 द्वारा स्मरण कराया गया इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये मैं, जी. पी. सोनकुसरे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत प्राथ. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, देल्हा, वि. ख. नैनपुर, पंजीयन क्रमांक 808 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. डी. कोरी, सह. वि. अधि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित

करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(665-S)

मण्डला, दिनांक 31 जुलाई, 2013

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./2013/94, मण्डला, दिनांक 23 जनवरी, 2013 के द्वारा प्राथ. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, अलीपुर, वि. ख. नैनपुर को पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने, निर्धारित समय सीमा में निर्वाचन नहीं कराने, संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. संदर्भित कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया. पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./489, दिनांक 09 मई, 2013 द्वारा स्मरण कराया गया इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये मैं, जी. पी. सोनकुसरे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत प्राथ. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, अलीपुर, वि. ख. नैनपुर, पंजीयन क्रमांक 807 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. डी. कोरी, सह. वि. अधि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(665-T)

मण्डला, दिनांक 31 जुलाई, 2013

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./2013/140, मण्डला, दिनांक 04 फरवरी, 2013 के द्वारा भूमिकृत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पाठासिहौरा, वि. ख. नैनपुर को पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने, निर्धारित समय सीमा में निर्वाचन नहीं कराने, संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. संदर्भित कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया. पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./490, दिनांक 09 मई, 2013 द्वारा स्मरण कराया गया इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये मैं, जी. पी. सोनकुसरे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत भूमिकृत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पाठासिहौरा, वि. ख. नैनपुर, पंजीयन क्रमांक 856 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. डी. कोरी, सह. वि. अधि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(665-U)



मण्डला, दिनांक 31 जुलाई, 2013

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./2013/745, मण्डला, दिनांक 04 फरवरी, 2013 के द्वारा नर्मदा महिला मंडल औद्योगिक सहकारी समिति, नैनपुर, वि. ख. नैनपुर को पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने, निर्धारित समय सीमा में निर्वाचन नहीं कराने, संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. संदर्भित कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया. पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./494, दिनांक 09 मई, 2013 द्वारा स्मरण कराया गया इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये मैं, जी. पी. सोनकुसरे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत नर्मदा महिला मंडल औद्योगिक सहकारी समिति, नैनपुर, वि. ख. नैनपुर, पंजीयन क्रमांक 706 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. डी. कोरी, सह. वि. अधि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(665-V)

मण्डला, दिनांक 31 जुलाई, 2013

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./2013/715, मण्डला, दिनांक 04 फरवरी, 2013 के द्वारा महिला रेशम कृमि पालन सहकारी समिति मर्यादित, पोंडी, वि. ख. नैनपुर को पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने, निर्धारित समय सीमा में निर्वाचन नहीं कराने, संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. संदर्भित कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया. पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./497, दिनांक 09 मई, 2013 द्वारा स्मरण कराया गया इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये मैं, जी. पी. सोनकुसरे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत महिला रेशम कृमि पालन सहकारी समिति मर्यादित, पोंडी, वि. ख. नैनपुर, पंजीयन क्रमांक 715 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. डी. कोरी, सह. वि. अधि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(665-W)

मण्डला, दिनांक 31 जुलाई, 2013

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./2013/749, मण्डला, दिनांक 04 फरवरी, 2013 के द्वारा महिला रेशम कृमि पालन सहकारी समिति मर्यादित, धनपुरी, वि. ख. नैनपुर को पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने, निर्धारित समय सीमा में निर्वाचन नहीं कराने, संस्था की उपविधि अनुसार

उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. संदर्भित कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया. पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./498, दिनांक 09 मई, 2013 द्वारा स्मरण कराया गया इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये मैं, जी. पी. सोनकुसरे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत महिला रेशम कृमि पालन सहकारी समिति मर्यादित, धनपुरी, वि. ख. नैनपुर, पंजीयन क्रमांक 725 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. डी. कोरी, सह. वि. अधि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(665-X)

मण्डला, दिनांक 31 जुलाई, 2013

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2013/151, मण्डला, दिनांक 04 फरवरी, 2013 के द्वारा महिला रेशम कृमि पालन सहकारी समिति मर्यादित, गुनेरा, वि. ख. बिछिया को पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने, निर्धारित समय सीमा में निर्वाचन नहीं कराने, संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. संदर्भित कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया. पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./500, दिनांक 09 मई, 2013 द्वारा स्मरण कराया गया इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये मैं, जी. पी. सोनकुसरे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत महिला रेशम कृमि पालन सहकारी समिति मर्यादित, गुनेरा, वि. ख. बिछिया, पंजीयन क्रमांक 711 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्रीमति संध्या जाधव, सह. वि. अधि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(665-Y)

मण्डला, दिनांक 31 जुलाई, 2013

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2013/152, मण्डला, दिनांक 04 फरवरी, 2013 के द्वारा महिला रेशम कृमि पालन सहकारी समिति मर्यादित, भडिया, वि. ख. नैनपुर को पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने, निर्धारित समय सीमा में निर्वाचन नहीं कराने, संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. संदर्भित कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया. पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./501, दिनांक 09 मई, 2013 द्वारा स्मरण कराया गया इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये मैं, जी. पी. सोनकुसरे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत महिला रेशम कृमि पालन सहकारी समिति मर्यादित, भडिया, वि. ख. नैनपुर, पंजीयन क्रमांक 719 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. डी. कोरी, सह. वि. अधि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(665-Z)

मण्डला, दिनांक 31 जुलाई, 2013

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./2013/153, मण्डला, दिनांक 04 फरवरी, 2013 के द्वारा प्राथमिक घरेलू ईंधन सहकारी समिति मर्यादित, नैनपुर, वि. ख. नैनपुर को पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने, निर्धारित समय सीमा में निर्वाचन नहीं कराने, संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। संदर्भित कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./502, दिनांक 09 मई, 2013 द्वारा स्मरण कराया गया इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये मैं, जी. पी. सोनकुसरे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत प्राथमिक घरेलू ईंधन सहकारी समिति मर्यादित, नैनपुर, वि. ख. नैनपुर, पंजीयन क्रमांक 682 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. डी. कोरी, सह. वि. अधि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(666)

मण्डला, दिनांक 31 जुलाई, 2013

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./2013/143, मण्डला, दिनांक 04 फरवरी, 2013 के द्वारा आदिवासी नंदेश्वर घाट मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, चौरई, वि. ख. बीजाडांडी को पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने, निर्धारित समय सीमा में निर्वाचन नहीं कराने, संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। संदर्भित कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंम/परि./492, दिनांक 09 मई, 2013 द्वारा स्मरण कराया गया इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त

पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये मैं, जी. पी. सोनकुसरे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आदिवासी नदेश्वर घाट मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, चौरई, वि. ख. बीजाडांडी, पंजीयन क्रमांक 667 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री नितिन मेहरा, सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(666-A)

मण्डला, दिनांक 31 जुलाई, 2013

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2013/151, मण्डला, दिनांक 04 फरवरी, 2013 के द्वारा छिराघाट आदिवासी जलाशय मत्स्य सहकारी समिति, पोडी, वि. ख. बीजाडांडी को पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने, निर्धारित समय सीमा में निर्वाचन नहीं कराने, संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. संदर्भित कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया. पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./493, दिनांक 09 मई, 2013 द्वारा स्मरण कराया गया इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये मैं, जी. पी. सोनकुसरे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत छिराघाट आदिवासी जलाशय मत्स्य सहकारी समिति, पोडी, वि. ख. बीजाडांडी, पंजीयन क्रमांक 643 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री नितिन मेहरा, सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(666-B)

रानी दुर्गावती स्टेशनरी प्रिंटिंग एवं बाईंडिंग औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., मण्डला, पंजी. क्र. 315, दिनांक 28 अक्टूबर, 1991, विकास खण्ड मण्डला को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम./2001/1355, दिनांक 27 नवम्बर, 2001 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, मण्डला को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 22 मई, 2013 से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां/देनदारियां शेष नहीं है.

अतः मैं जी. पी. सोनकुसरे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(660)

प्राथमिक चर्मोद्योग सहकारी समिति मर्या., टिकरिया, पंजी. क्र. 688, दिनांक 04 जनवरी, 1996, विकास खण्ड नारायणगंज को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम./2001/990, दिनांक 17 सितम्बर, 2001 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 16 अप्रैल, 2013 से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां/देनदारियां शेष नहीं है।

अतः मैं जी. पी. सोनकुसरे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(660-A)

प्राथमिक चर्मोद्योग सहकारी समिति मर्या., हाथीतारा, पंजी. क्र. 687, दिनांक 22 दिसम्बर, 1995, विकास खण्ड निवास को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम./2001/1355, दिनांक 27 नवम्बर, 2001 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर संशोधित आदेश क्रमांक/सपंम/परि./2013/835, दिनांक 28 सितम्बर, 2013 द्वारा सहकारिता विस्तार अधिकारी, नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 16 अप्रैल, 2013 से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां/देनदारियां शेष नहीं है।

अतः मैं जी. पी. सोनकुसरे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(660-B)

नर्मदा मछुआ सहकारी समिति मर्या., जिलेहटी, पंजी. क्र. 717, दिनांक 17 अक्टूबर, 1997, विकास खण्ड निवास को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम./2001/994, दिनांक 17 सितम्बर, 2001 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर संशोधित आदेश क्रमांक/सपंम/परि./2013/835, दिनांक 28 सितम्बर, 2013 के द्वारा सहकारिता विस्तार अधिकारी, नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 16 अप्रैल, 2013 से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां/देनदारियां शेष नहीं है।

अतः मैं जी. पी. सोनकुसरे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जी. पी. सोनकुसरे,  
सहायक रजिस्ट्रार.

(660-C)

### कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला छतरपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत]

डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रावबहादुर सिंह जिला बीज उत्पादक सहकारिता मर्या., छतरपुर.	02/2002, दि. 18-10-2002	क्र./परि./2013/22, दि. 15-01-2013

1	2	3	4
2.	ईधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., छतरपुर	09/04, दि. 16-04-2004	क्र./परि./2013/22, दि. 15-01-2013
3.	महालक्ष्मी ईधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., छतरपुर	15/04, दि. 08-07-2004	क्र./परि./2013/22, दि. 15-01-2013
4.	राधे-राधे ईधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., छतरपुर	08/04, दि. 13-04-2004	क्र./परि./2013/22, दि. 15-01-2013
5.	गायत्री महिला ईधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., छतरपुर.	12/04, दि. 26-06-2004	क्र./परि./2013/22, दि. 15-01-2013

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे, यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उनका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 19 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(669)

जी. पी. पिपरसानिया,

वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

### कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला छतरपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत]

डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., चन्दौली.	36/21-04-2005	944/03-06-2013
2.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कुटौरा	35/21-04-2005	944/03-06-2013
3.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बछरावनी	34/21-04-2005	944/03-06-2013
4.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बूदौर	33/21-04-2005	944/03-06-2013

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे, यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उनका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 19 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(669-A)

आर. एन. सिंह यादव,  
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला छतरपुर

छतरपुर, दिनांक 27 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1185, छतरपुर, दिनांक 23 सितम्बर, 2011 के द्वारा खनिज कर्म उद्योग सह. समिति मर्या., खरदूती,

जिसका पंजीयन क्रमांक 576, दिनांक 08 सितम्बर, 1994 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री राजीव सक्सेना, सह. निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(670)

छतरपुर, दिनांक 27 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1185, छतरपुर, दिनांक 23 सितम्बर, 2011 के द्वारा खनिज कर्म उद्योग सह. समिति मर्या., सरगुवां, जिसका पंजीयन क्रमांक 708, दिनांक 29 अक्टूबर, 1994 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री राजीव सक्सेना, सह. निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(670-A)

छतरपुर, दिनांक 27 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./568, छतरपुर, दिनांक 23 जून, 2009 के द्वारा आदर्श नागरिक सहकारी समिति मर्या., पिपट, जिसका पंजीयन क्रमांक 1222, दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री जे. एस. यादव, सह. निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(670-B)

छतरपुर, दिनांक 27 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./553, छतरपुर, दिनांक 23 जून, 2009 के द्वारा माँ विन्ध्यवासिनी ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., छतरपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1090, दिनांक 10 मार्च, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत

परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री प्रमोद खरे, सह. निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

अखिलेश कुमार निगम,  
उप-पंजीयक.

(670-C)

### कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 जून, 2013

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./उपछि/परिसमापन/2013/851.— निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समितियों को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	श्री साई ईंधन सहकारी समिति मर्या., चौरई.	684/18-10-2006	1625/31-12-2011	श्री ए.के. शर्मा, स. वि. अ.
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हिवरावासुदेव.	179/13-11-1987	363/17-04-2009	श्री आर.के. नेमा, उप-अंके.
3.	कालरी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी मण्डार मर्या., चादामेटा (अपनी दुकान).	144/22-08-1963	1676/08-11-2012	श्री आर. एस. दुबे व. स. नि.

चूंकि, कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 29 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

जी. एस. डेहरिया,  
उप-पंजीयक.

(671)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बालाघाट

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत ]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./744, बालाघाट, दिनांक 22 जुलाई, 2011 के द्वारा प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, सोनझरा, पंजीयन क्रमांक 578, दिनांक 31 मार्च, 1997 विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की



धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, वारासिवनी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (आडिट) के माध्यम से कराया गया। सहायक पंजीयक (आडिट) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है। जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, सोनझरा, पंजीयन क्रमांक 578, दिनांक 31 मार्च, 1997, विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, सोनझरा, पंजीयन क्रमांक 578, दिनांक 31 मार्च, 1997, विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है।

अतः मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, सोनझरा, पंजीयन क्रमांक 578, दिनांक 31 मार्च, 1997, विकासखण्ड वारासिवनी व जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(672)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1595, बालाघाट, दिनांक 07 जुलाई, 2001 के द्वारा प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, मिरिया, पंजीयन क्रमांक 553, दिनांक 20 नवम्बर, 1996 विकासखण्ड लाँजी व जिला बालाघाट जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, लाँजी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (आडिट) के माध्यम से कराया गया। सहायक पंजीयक (आडिट) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है। जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, मिरिया, पंजीयन क्रमांक 553, दिनांक 20 नवम्बर, 1996, विकासखण्ड लाँजी व जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, लाँजी, पंजीयन क्रमांक 553, दिनांक 20 नवम्बर, 1996, विकासखण्ड लाँजी व जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है।

अतः मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, लाँजी, पंजीयन क्रमांक 553, दिनांक 20 नवम्बर, 1996, विकासखण्ड लाँजी व जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(672-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1563, बालाघाट, दिनांक 05 जुलाई, 2001 के द्वारा संत गरीबा ईट कवेलू उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, लालवर्वा, पंजीयन क्रमांक 149, दिनांक 09 जनवरी, 1990, विकासखण्ड लालवर्वा व जिला बालाघाट जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी

अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, लालवरा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (आडिट) के माध्यम से कराया गया। सहायक पंजीयक (आडिट) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है। जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संत गरीबा ईट कवेलू उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, लालवरा, पंजीयन क्रमांक 149, दिनांक 09 जनवरी, 1990, विकासखण्ड लालवरा व जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संत गरीबा ईट कवेलू उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, लालवरा, पंजीयन क्रमांक 149, दिनांक 09 जनवरी, 1990, विकासखण्ड लालवरा व जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है।

अतः मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये संत गरीबा ईट कवेलू उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, लालवरा, पंजीयन क्रमांक 149, दिनांक 09 जनवरी, 1990, विकासखण्ड लालवरा व जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(672-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1594, बालाघाट, दिनांक 07 जुलाई, 2001 के द्वारा प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, देवलगाँव, पंजीयन क्रमांक 561, दिनांक 03 फरवरी, 1997 विकासखण्ड लाँजी व जिला बालाघाट जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, लाँजी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (आडिट) के माध्यम से कराया गया। सहायक पंजीयक (आडिट) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है। जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, देवलगाँव, पंजीयन क्रमांक 561, दिनांक 03 फरवरी, 1997 विकासखण्ड लाँजी व जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, देवलगाँव, पंजीयन क्रमांक 561, दिनांक 03 फरवरी, 1997 विकासखण्ड लाँजी व जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है।

अतः मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, देवलगाँव, पंजीयन क्रमांक 561, दिनांक 03 फरवरी, 1997 विकासखण्ड बालाघाट व जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(672-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./285, बालाघाट, दिनांक 07 मार्च, 2012 के द्वारा प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, सावरीकला, पंजीयन क्रमांक 588, दिनांक 31 मार्च, 1997 विकासखण्ड लाँजी व जिला बालाघाट जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की

धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, लाँजी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (आडिट) के माध्यम से कराया गया. सहायक पंजीयक (आडिट) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, सावरीकला, पंजीयन क्रमांक 588, दिनांक 31 मार्च, 1997 विकासखण्ड लाँजी व जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, सावरीकला, पंजीयन क्रमांक 588, दिनांक 31 मार्च, 1997 विकासखण्ड लाँजी व जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है.

अतः मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, सावरीकला, पंजीयन क्रमांक 588, दिनांक 31 मार्च, 1997 विकासखण्ड बालाघाट व जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

एम. पी. चक्रवर्ती,  
उप-रजिस्ट्रार.

(672-D)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

खरगोन, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

भूमि जोतक सहकारी समिति मर्या., ढकलगाँव, तह. बड़वाह, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1302, दिनांक 27 सितम्बर, 2001 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/874/दिनांक 09 जून, 2006 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर निरंक स्थिति विवरण पत्रक के साथ अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 मार्च, 2013 से (बॉडी कार्पोरेट) निकाय के रूप में नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(674)

खरगोन, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

रेवा फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., बडुद, तह. बड़वाह, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1304, दिनांक 29 सितम्बर, 2001 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/876/दिनांक 09 जून, 2006 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर निरंक स्थिति विवरण पत्रक के साथ अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत

प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ, उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 मार्च, 2013 से (बॉडी कार्पोरेट) निकाय के रूप में नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(674-A)

खरगोन, दिनांक 24 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/864.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत विद्युत नगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., खरगोन को परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र, पत्र क्रमांक/परि./827, दिनांक 08 जुलाई, 2013 को समिति के अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से एवं संस्था के पंजीयन निरस्ती हेतु संस्था के उहराव-प्रस्ताव के प्राप्त होने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र की अवधि के दौरान दिनांक 09 जुलाई, 2013 को संस्था द्वारा प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया, प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा पुनः उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, खरगोन से संस्था का पंजीयन निरस्त करने का निवेदन किया गया।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्युत नगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., खरगोन, तह. खरगोन, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/922, दिनांक 20 सितम्बर, 1994 को इस आदेश क्रमांक के दिनांक से परिसमापन में लाते हुए श्री राजेन्द्र महाजन, सहकारी निरीक्षक सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, खरगोन को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

बी. एस. अलावा,  
उप-पंजीयक.

(673-B)

### कार्यालय परिसमापक विद्युत नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खरगोन

खरगोन, दिनांक 21 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

विद्युत नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खरगोन, तहसील खरगोन, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक/डीआर/केआरजीएन/922, दिनांक 20 जून, 1989 है, को उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/परि/13/864, दिनांक 24 जुलाई, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना पत्र आज दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

राजेन्द्र महाजन,  
परिसमापक.

(667)

### कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना

सतना, दिनांक 29 जून, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/742.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2012/39, दिनांक 10 जनवरी, 2012 द्वारा संस्था महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., रैगांव, पंजीयन क्रमांक 428, दिनांक 11 अक्टूबर, 2002 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

संस्था के परिसमापक श्री सुजीत सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, संजय नायक, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., रैगांव, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 428, दिनांक 11 अक्टूबर, 2002 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 29 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(675)

सतना, दिनांक 29 जून, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/744.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2012/1122, दिनांक 05 सितम्बर, 2012 द्वारा संस्था पुलिस कर्मचारी गृह निर्माण सह. समिति मर्या., सतना, पंजीयन क्रमांक 337, दिनांक 13 अगस्त, 2001 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

संस्था के परिसमापक श्री एन. पी. शर्मा, वरि. सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, संजय नायक, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए पुलिस कर्मचारी गृह निर्माण सह. समिति मर्या., सतना, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 337, दिनांक 13-8-2001 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 29 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(675-A)

सतना, दिनांक 29 जून, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/743.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. देऊ, पंजीयन क्रमांक 504, दिनांक 27 नवम्बर, 2004 है, के आदेश क्रमांक 27, दिनांक 05 जनवरी, 2011 से परिसमापन में लाया जाकर श्री घनश्याम पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था, परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था की अकार्यशीलता थी।

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की गयी है. अतः सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुरूप संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वैधित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./27, दिनांक 05 जनवरी, 2011 को निरस्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. देऊ का पंजीयन क्रमांक 504, दिनांक 27 नवम्बर, 2004 को पुनर्जीवित करता हूँ.

साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु 90 दिवस के लिये निम्नानुसार प्रबंधकारिणी समिति को नामांकित करता हूँ. :-

- |                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 1. श्री धीरेन्द्र कुमार पटेल | अध्यक्ष   |
| 2. श्री दिवाकर सिंह          | उपाध्यक्ष |
| 3. श्री वृजभान पटेल          | सदस्य     |

4. रामानंद पटेल	सदस्य
5. रामपाल पटेल	सदस्य
6. श्री शिव प्रसाद कोल	सदस्य
7. श्री तीरथ प्रसाद गुप्ता	सदस्य
8. श्री रविशंकर पटेल	सदस्य
9. सुग्रीव दास	सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 29 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

संजय नायक,  
उप-पंजीयक.

(675-B)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला टीकमगढ़

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी) (ग) के अन्तर्गत]

सर्वसाधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़ के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियाँ जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-89 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा धारा-70 (1) के तहत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक व दिनांक (3)	परिसमापन क्रमांक व दिनांक (4)
1.	बजुरंग महिला बहु. सहकारी समिति, गुखरई	668/25-02-2002	1291/30-08-2012
2.	बजुरंग महिला बहु. सहकारी समिति, लुहंरा	673/01-03-2002	1288/30-08-2012
3.	महिला बहु. सहकारी समिति, वनेरा	659/28-02-2002	1283/30-08-2012
4.	महिला बहु. सहकारी समिति, अहार	666/25-02-2002	1289/30-08-2012
5.	महिला बहु. सहकारी समिति, खरगापुर	581/12-08-1998	1284/30-08-2012
6.	महिला बहु. सहकारी समिति, केलपुरा	657/12-02-2002	1285/30-08-2012
7.	महिला बहु. सहकारी समिति, डुम्वार	672/01-03-2002	1286/30-08-2012
8.	महिला बहु. सहकारी समिति, लखेरी	671/28-02-2002	1287/30-08-2012
9.	वैष्णोदेवी महिला बहु. सहकारी समिति, भैलसी	832/27-12-2006	1282/30-08-2012
10.	गोकुल महिला बहु. सहकारी समिति, अहार इमलिया	789/10-06-2005	1290/30-08-2012
11.	कर्माबाई महिला बहु. सहकारी समिति, मैदवारा	567/29-05-1998	1292/30-08-2012
12.	महिला बहु. सहकारी समिति, उदयपुरा	606/08-10-1998	1293/30-08-2012

अतः मैं, एन. के. खरे, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समिति नियम, 1962 के नियम प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो तो इस सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़ में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वरूप के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी, उपलब्ध रिकार्ड (ऑडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम हो, तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा करें, अन्यथा अवधि समाप्त होने पर किसी व्यक्ति के उपरोक्त समितियों के रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित व्यक्ति की होगी।

आज दिनांक 27 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

एन. के. खरे,  
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(676)

**कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला टीकमगढ़**

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी) (ग) के अन्तर्गत]

सर्वसाधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़ के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियाँ जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-89 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा धारा-70 (1) के तहत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ममता नाग. सहकारी समिति, जिखनगांव	634/14-3-2000	1662/31-12-2009
2.	माँ वेष्णोदेवी ईंधन आपूर्ति सह. समिति, तरीचरकलां	794/10-09-2005	1673/31-12-2009
3.	पिताम्बरा ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति, निवाड़ी	712/24-10-2003	1677/31-12-2009
4.	शिव गोरा पत्थर उद्योग सह. समिति, लडवारी	313/17-03-1981	1298/30-04-2000
5.	रामराजा प्राथ. उप. भण्डार सह. समिति, तरीचरकला	795/10-10-2005	1299/30-08-2012
6.	रामराजा सरकार प्राथ. उप. भण्डार सह. समिति, तरीचरकला	803/27-10-2005	1298/30-08-2012
7.	रेडीमेड वस्त्र उद्योग सहकारी समिति, उवौरा	329/20-12-1991	840/26-05-2007
8.	शहीद ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति, ओरछा	702/12-07-2002	1679/31-12-2009
9.	सरस्वती ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति, निवाड़ी	722/09-09-2003	1683/31-12-2009
10.	स्वतंत्र बुनकर सहकारी समिति, चाचवली	393/24-01-1985	941/31-12-2009
11.	जया प्राथ. उप भण्डार सहकारी समिति, निवाड़ी	805/09-11-2005	1745/31-12-2010
12.	जनता बुनकर सहकारी समिति, उवौरा	300/21-01-1970	841/26-05-2007
13.	ओरछा ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति, निवाड़ी	770/02-09-2005	1668/31-12-2009

अतः मैं, सी. पी. सोनी, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समिति नियम, 1962 के नियम प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो तो इस सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़ में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वरूप के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी, उपलब्ध रिकार्ड (ऑडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा. यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों/पदाधिकारियों व्यक्ति के पास उक्त समितियों के सम्बन्ध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य समान हो, तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा करें, अन्यथा अवधि समाप्त होने पर किसी व्यक्ति के उपरोक्त समितियों के रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित व्यक्ति की होगी.

आज दिनांक 26 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

सी. पी. सोनी,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(677)

**कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला टीकमगढ़**

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी) (ग) के अन्तर्गत]

सर्वसाधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़ के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियाँ जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-89 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा धारा-70 (1) के तहत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कृष्णा नाग. सहकारी समिति, वल्देवगढ़	842/22-11-2007	245/30-01-2012

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	महिला बहु. सहकारी समिति, वराना खास	654/29-01-2002	169/19-02-2010
3.	महिला बहु. सहकारी समिति, टीला	834/27-12-2006	212/19-02-2010
4.	मत्स्य उद्योग सहकारी समिति, डुडियन खेरा	345/24-01-1985	208/30-05-2012
5.	श्रीराम नाग. सहकारी समिति, पलेरा	563/08-05-1998	1655/31-12-2009
6.	रामलला नाग. सहकारी समिति, भैलसी	727/21-01-2004	246/30-01-2012
7.	सांईराम नाग. सहकारी समिति, पलेरा	633/04-03-2000	1654/31-12-2009
8.	दुग्ध सहकारी समिति, डुडियन खेरा	388/27-04-1988	113/24-01-2009
9.	दुग्ध सहकारी समिति, डुडियन बीरउ	373/27-04-1988	92/10-01-2008
10.	नागरिक सहकारी समिति, मैदवारा	602/25-09-1998	1664/31-12-2009

अतः मैं, राजेश गुप्ता, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समिति नियम, 1962 के नियम प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो तो इस सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़ में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वरूप के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी, उपलब्ध रिकार्ड (ऑडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा. यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों/पदाधिकारियों व्यक्ति के पास उक्त समितियों के सम्बन्ध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य समान हो, तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा करें, अन्यथा अवधि समाप्त होने पर किसी व्यक्ति के उपरोक्त समितियों के रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित व्यक्ति की होगी.

आज दिनांक 12 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(678)

राजेश गुप्ता,  
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

### कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला टीकमगढ़

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी) (ग) के अन्तर्गत]

सर्वसाधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़ के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियाँ जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-89 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा धारा-70 (1) के तहत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	इंदिरा गांधी महिला बहु. सहकारी समिति, अस्तारी बजारीपुरा	528/24-11-1997	2082/16-04-2007
2.	कृष्णा प्राथ. उप. भ. सहकारी समिति, डिरगुवां	552/17-03-1998	2081/16-04-2007
3.	महिला प्राथ. उप. भ. सहकारी समिति, लुहरगुंवा	612/05-05-1999	2083/16-04-2007
4.	महिला बहु. सहकारी समिति, विनवारा	747/19-2-1998	2484/06-10-2004
5.	मत्स्योद्योग सहकारी समिति, घुघसी	358/27-12-1986	2452/06-10-2004
6.	गिदवासन बुनकर सहकारी समिति, सिंदुरसागर	322/27-07-1983	886/24-05-2007
7.	प्राथ. उप. भण्डार सहकारी समिति, पारा खेरा	598/25-09-1998	2080/16-07-2004
8.	सुभाष बुनकर सहकारी समिति, पठाराम	284/14-06-1991	912/26-05-2007
9.	सीमा बुनकर सहकारी समिति, सादिकपुरा	311/30-09-1981	888/24-05-2007
10.	अछरूमाता प्राथ. उप. भण्डार सह. समिति, मडिया	502/28-08-1997	2452/16-04-2004



अतः मैं, जी. डी. कड़ा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समिति नियम, 1962 के नियम प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो तो इस सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़ में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वरूप के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी, उपलब्ध रिकार्ड (ऑडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा. यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों/पदाधिकारियों व्यक्ति के पास उक्त समितियों के सम्बन्ध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य समान हो, तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा करें, अन्यथा अवधि समाप्त होने पर किसी व्यक्ति के उपरोक्त समितियों के रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित व्यक्ति की होगी.

आज दिनांक 26 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

जी. डी. कड़ा,

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(679)

### कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला टीकमगढ़

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी) (ग) के अन्तर्गत]

सर्वसाधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़ के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियाँ जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-89 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा धारा-70 (1) के तहत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	शंकर राव नागरिक सहकारी समिति, चंदैरा	584/03-09-1998	270/30-01-2012
2.	महिला बहु. सहकारी समिति, मनेथा	755/22-09-2009	1296/30-08-2012
3.	माँ शारदा प्राथ. भण्डार, भैलसी	877/02-02-2006	1280/30-08-2012
4.	भैरव जी प्राथ. उप. भण्डार, पलेरा	802/27-10-2005	799/10-06-2011
5.	रावतपुरा सरकार उद्वहन सह. समिति, पलेरा	648/18-01-2001	800/10-06-2011
6.	वर्धमान नागरिक सहकारी समिति, टीकमगढ़	538/16-01-1998	1020/09-08-2010
7.	जयराम प्राथ. उप. भण्डार सह. समिति, टोरिया	503/28-08-1997	801/10-06-2011
8.	गणपति प्राथ. भण्डार, खरगापुर	800/27-10-2005	1281/30-08-2012

अतः मैं, आर. बी. तिवारी, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समिति नियम, 1962 के नियम प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो तो इस सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़ में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वरूप के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी, उपलब्ध रिकार्ड (ऑडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा. यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों/पदाधिकारियों व्यक्ति के पास उक्त समितियों के सम्बन्ध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य समान हो, तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा करें, अन्यथा अवधि समाप्त होने पर किसी व्यक्ति के उपरोक्त समितियों के रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित व्यक्ति की होगी.

आज दिनांक 26 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. बी. तिवारी,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(681)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला टीकमगढ़

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी) (ग) के अन्तर्गत]

सर्वसाधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़ के

आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियाँ जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-89 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा धारा-70 (1) के तहत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	भरत फल-फूल वितरण एवं सब्जी उत्पादक सहकारी समिति, मोहनगढ़.	640/11-07-2000	592/15-04-2002
2.	इंदरा महिला बहु. सहकारी समिति, विलगायं	605/25-09-1998	631/03-04-2006
3.	कर्मवाई प्राथ. उप. सहकारी समिति, वम्होरी वराना	508/04-09-1997	1860/24-11-2005
4.	प्रीति महिला बहु. सहकारी समिति, मांची	693/27-06-2002	217/30-01-2012
5.	माँ शारदा सहकारी समिति, चंदेरी	527/6-11-1997	1037/15-03-2004
6.	माँ वैष्णो देवी ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति, दिगोडा	745/12-07-2004	1682/31-12-2009
7.	रामरहीम महिला बहु. सहकारी समिति, मोहनगढ़	530/05-12-1997	1086/15-03-2004
8.	रैदास चर्मोद्योग सहकारी समिति, जतारा	10/20-12-1955	04-09-2005
9.	स्व: अमर शहीद प्राथ. उप. भ. वम्होरी वराना	505/28-08-1997	632/03-04-2006
10.	गुड साड खडी सहकारी समिति, दुलावनी	169/17-01-1962	946/31-07-2010
11.	महिला बहु. सहकारी समिति, छिपरी	501/01-05-1998	1862/26-11-2005
12.	परिवर्तन नागरिक सहकारी समिति, जतारा	632/03-03-2000	1666/31-12-2009
13.	रावतपुरा सरकार उद्वहन सहकारी समिति, चिकला पुरी	635/14-03-2000	1656/31-12-2009
14.	महिला बहु. सहकारी समिति, मोहनगढ़	784/06-06-2005	269/30-01-2012
15.	महिला बहु. सहकारी समिति, अर्चरा	782/06-06-2005	268/30-01-2012
16.	प्रीति महिला सहकारी समिति, वम्होरी वराना	697/02-07-2003	218/19-02-2010
17.	रानी लक्ष्मी वाई महिला बहु. सहकारी समिति, मुहारा	536/03-01-1998	214/30-01-2012
18.	महात्मा गांधी महिला बहु. सहकारी समिति, कंचनपुरा मोहनगढ़	620/07-07-1999	277/30-01-2012
19.	गोकुल महिला बहु. सहकारी समिति, कुंवरपुरा	783/06-06-2005	215/30-01-2012
20.	महिला बहु. सहकारी समिति, सतगुंवा	675/01-03-2002	250/30-01-2012
21.	महिला बहु. सहकारी समिति, मरगुंवा	653/29-01-2012	265/30-01-2012

अतः मैं, सी. पी. रायकवार, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समिति नियम, 1962 के नियम प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो तो इस सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़ में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वरूप के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी, उपलब्ध रिकार्ड (ऑडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा. यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों/पदाधिकारियों व्यक्ति के पास उक्त समितियों के सम्बन्ध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा करें, अन्यथा अवधि समाप्त होने पर किसी व्यक्ति के उपरोक्त समितियों के रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित व्यक्ति की होगी.

आज दिनांक 28 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला टीकमगढ़

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी), (ग) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़ के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियाँ जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-89 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा धारा-70 (1) के तहत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक व दिनांक (3)	परिसमापन क्रमांक व दिनांक (4)
1.	यातायात सहकारी समिति, कुण्डेश्वर	446/18-05-1993	1010/09-08-2010
2.	ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति, खरगापुर	712/07-12-2002	247/30-01-2012
3.	बीज क्रय-विक्रय सहकारी समिति, टीकमगढ़	1/18-06-1976	1001/09-08-2010
4.	कुमकार सहकारी समिति, टीकमगढ़	248/21-01-1965	1011/09-08-2010
5.	शिव शक्ति ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति, फिरोजपुरा	835/10-04-2007	224/30-01-2012
6.	जिला मडुवा संघ सहकारी समिति, टीकमगढ़	10/03-12-1968	1000/09-08-2010
7.	शा. कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति, टीकमगढ़	11/09-12-1970	1004/09-08-2010
8.	साँई राम ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति, लिधौरा	712/21-04-2003	222/30-01-2012
9.	चर्मउद्योग सहकारी समिति, सकेरा भड़ारन	263/25-08-1967	1013/09-08-2010
10.	चर्मउद्योग सहकारी समिति, हीरानगर	10/24-12-1965	1006/09-08-2010
11.	तेल उत्पादक सहकारी समिति, भैलसी	193/22-09-1962	1012/09-08-2010
12.	नारायण सूत्र भ.सहकारी समिति, टीकमगढ़	1/01-01-1949	1015/09-08-2010
13.	गुड खांड सारी सहकारी समिति, टीकमगढ़	192/22-09-1982	1011/09-08-2010
14.	गुड उद्योग सहकारी समिति, लडवारी	153/19-11-1960	999/05-11-1970
15.	लोक सवेक प्रिंटिंग सहकारी समिति, टीकमगढ़	22/03-02-1980	1014/09-08-2010

अतः मैं, डी. के. जैन, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समिति नियम, 1962 के नियम प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो तो इस सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़ में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वरूप के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी, उपलब्ध रिकार्ड (ऑडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा. यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों/पदाधिकारियों व्यक्ति के पास उक्त समितियों के सम्बन्ध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा करें, अन्यथा अवधि समाप्त होने पर किसी व्यक्ति के उपरोक्त समितियों के रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित व्यक्ति की होगी.

आज दिनांक 26 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

डी. के. जैन,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(683)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला टीकमगढ़

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी) (ग) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़ के

आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियाँ जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-89 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा धारा-70 (1) के तहत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक व दिनांक (3)	परिसमापन क्रमांक व दिनांक (4)
1.	एकता गिट्टी, पत्थर उद्योग सह. समिति, मवई	542/12-01-1998	1750/31-12-2010
2.	खादी उद्योग सह. समिति, टीकमगढ़	94/21-01-1961	1756/31-12-2010
3.	इंदिरा गांधी प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी सह. समिति, टीकमगढ़	587/02-09-1998	1747/31-12-2010
4.	माँ विंदवासिनी महिला बहु. सहकारी समिति वम्होरी नकीवन	553/18-03-1998	999/09-08-2010
5.	पत्रकार गृह निर्माण समिति, टीकमगढ़	643/09-08-2000	1753/31-12-2010
6.	श्री गणेश उपभोक्ता भण्डार, टीकमगढ़	809/22-11-2005	1751/31-12-2010
7.	सदन प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार, टीकमगढ़	812/22-11-2005	1749/31-12-2010
8.	सनमति गृह निर्माण सह. समिति, टीकमगढ़	316/31-03-1981	1755/31-12-2010
9.	अधिवक्ता गृह निर्माण सह. समिति, टीकमगढ़	630/25-01-1997	1754/31-12-2010
10.	गजानन प्राथमिक उप. सह. समिति, टीकमगढ़	811/27-11-2005	1752/31-12-2010
11.	माँ विंदवासिनी फल-फूल-सब्जी उत्पादक सह. समिति, लडवारी (अहार)	641/11-07-2000	591/25-09-2002
12.	चावल दाल उद्योग सह. समिति, सिजोरा	215/25-06-1963	941/24-01-2009

अतः मैं, संजय जैन, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समिति नियम, 1962 के नियम प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो तो इस सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़ में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वरूप के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी, उपलब्ध रिकार्ड (ऑडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा. यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों/पदाधिकारियों व्यक्ति के पास उक्त समितियों के सम्बन्ध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा करें, अन्यथा अवधि समाप्त होने पर किसी व्यक्ति के उपरोक्त समितियों के रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित व्यक्ति की होगी.

आज दिनांक 27 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

संजय जैन,

(684)

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला टीकमगढ़

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी), (ग) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़ के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियाँ जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-89 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा धारा-70 (1) के तहत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक व दिनांक (3)	परिसमापन क्रमांक व दिनांक (4)
1.	महिला बहु. सहकारी समिति, भोपाल पुरा	650/11-3-02	254/30-01-12
2.	महिला बहु. सहकारी समिति, मनिया	684/1-4-02	258/30-01-12
3.	प्रेमवती महिला बहु. सहकारी समिति, चिरपुरा	564/8-5-98	257/30-01-12

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	श्री कृष्णा प्राथ. उप. भण्डार सहकारी समिति, नैगुंवा	523/06-11-1997	1748/31-12-2010
5.	राजराजा सहकारी समिति, मुड़ेनी	661/12-02-2002	255/30-01-2012
6.	रानीगंज महिला बहु. सहकारी समिति, रानीगंज	697/01-01-2002	269/30-01-2012
7.	अछरू माता सहकारी समिति, जवारपुरा	660/12-02-2002	259/30-01-2012
8.	अजयगढ़ माता सहकारी समिति, विरौरा, खेत	617/03-06-1999	256/30-01-2012
9.	गोकुल महिला बहु. सहकारी समिति, दुम्दुमा	778/19-05-2005	253/30-01-2012

अतः मैं, एन. एस. राय, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समिति नियम, 1962 के नियम प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो तो इस सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़ में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वरूप के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी, उपलब्ध रिकार्ड (ऑडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा. यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों/पदाधिकारियों व्यक्ति के पास उक्त समितियों के सम्बन्ध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा करें, अन्यथा अवधि समाप्त होने पर किसी व्यक्ति के उपरोक्त समितियों के रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित व्यक्ति की होगी.

आज दिनांक 27 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

एन. एस. राय,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(685)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला टीकमगढ़

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी) (ग) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़ के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियाँ जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-89 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा धारा-70 (1) के तहत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बजुरंग वली महिला बहु. सहकारी समिति, लडवारी	663/18-02-2002	239/30-01-2012
2.	काष्ट कलां उद्योग सहकारी समिति, मुहारा	25/28-02-1950	211/30-01-2012
3.	महिला सहकारी समिति, कुडीला	841/15-10-2007	229/30-01-2012
4.	महिला सहकारी समिति, पिपरा मडोरी	78/31-05-2005	226/30-01-2012
5.	महिला सहकारी समिति, पटोरी	694/27-06-2002	240/30-01-2012
6.	मां विंदवासिनी महिला बहु सह. समिति, दुर्गानगर	644/22-02-2002	227/30-01-2012
7.	मां दुग्ध दुर्वदेई महिला बहु सह. समिति, दौह	833/27-12-2006	228/30-01-2012
8.	श्रीहरी महिला बहु. सहकारी समिति, बहादुरपुरा	730/02-04-2004	233/19-02-2010
9.	सौर बन्धु उद्योग सहकारी समिति, बैरवार	7/11-11-1954	249/30-01-2012
10.	गोकुल महिला बहु. सहकारी समिति, धनेरा	786/06-06-2005	150/19-02-2010

अतः मैं, एच. के. झाम, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समिति नियम, 1962 के नियम प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो तो इस सहित मुझे कार्यालय

उप-आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़ में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वरूप के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी, उपलब्ध रिकार्ड (ऑडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा। यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों/पदाधिकारियों व्यक्ति के पास उक्त समितियों के सम्बन्ध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा करें, अन्यथा अवधि समाप्त होने पर किसी व्यक्ति के उपरोक्त समितियों के रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित व्यक्ति की होगी।

आज दिनांक 26 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(686)

एच. के. झाम,  
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला टीकमगढ़

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी) (ग) के अन्तर्गत ]

सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़ के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियाँ जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-89 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा धारा-70 (1) के तहत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	महिला बहु. सहकारी समिति, शिवराजपुरा	740/04-06-2007	1290/30-08-2012
2.	महिला बहु. सहकारी समिति, वरेठी	623/07-03-1999	1296/30-08-2012
3.	आदर्श महिला बहु. सहकारी समिति, जैरोन	544/29-01-1998	1297/30-08-2012

अतः मैं, के. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समिति नियम, 1962 के नियम प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो तो इस सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़ में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वरूप के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी, उपलब्ध रिकार्ड (ऑडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा। यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों/पदाधिकारियों व्यक्ति के पास उक्त समितियों के सम्बन्ध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा करें, अन्यथा अवधि समाप्त होने पर किसी व्यक्ति के उपरोक्त समितियों के रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित व्यक्ति की होगी।

आज दिनांक 25 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(687)

के. के. गुप्ता,  
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

### कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला टीकमगढ़

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी) (ग) के अन्तर्गत ]

सर्वसाधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़ के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियाँ जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-89 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा धारा-70 (1) के तहत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बुनकर सहकारी समिति, सकेरा पलेरा	329/18-04-1983	913/26-05-2007
2.	कबीर पुती बुनकर सहकारी समिति, थोना	295/10-06-1976	916/24-05-2007

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	कोरियान बुनकर सहकारी समिति, पैतपुरा	302/12-03-1977	881/24-05-
4.	महिला बहु. सहकारी समिति, धौरा	670/28-02-2002	1295/30-08-2012
5.	हरीजन मत्स्योद्योग सहकारी समिति, चंदेरा	342/11-01-1985	251/05-03-2008
6.	जनकल्याण बुनकर सहकारी समिति, बछोंडा	421/21-02-1988	915/24-05-2007

अतः मैं, जी. आर. रैकवार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समिति नियम, 1962 के नियम प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो तो इस सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला टीकमगढ़ में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वरूप के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी, उपलब्ध रिकार्ड (ऑडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा. यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों/पदाधिकारियों व्यक्ति के पास उक्त समितियों के सम्बन्ध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा करें, अन्यथा अवधि समाप्त होने पर किसी व्यक्ति के उपरोक्त समितियों के रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित व्यक्ति की होगी.

आज दिनांक 26 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

जी. आर. रैकवार,  
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(680)

### कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर

इंदौर, दिनांक 31 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./13/3402.—गौतम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./आय.डी.आर./581, दिनांक 30 जुलाई, 1994 है को इस कार्यालय के आदेश क्र./4461, दिनांक 23 अगस्त, 2003 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री कालूराम सेते, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. तत्पश्चात् संशोधित आदेश अनुसार श्री आर. सी. जरिया, अंकेक्षण अधिकारी एवं वर्तमान में श्री एस. एल. नागर, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्त के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था को गलत तरीके से परिसमापन में लाया गया एवं संस्था के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिये उसे पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक है, परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने हेतु प्रस्ताव कार्यालय में प्रस्तुत किया गया.

संस्था परिसमापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में वर्णित किया गया कि दिनांक 06 अक्टूबर, 2013 को संस्था की वार्षिक साधारण सभा में संस्था के समस्त सदस्यों (उपस्थित) द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने हेतु सहमति व्यक्त की है. परिसमापक द्वारा अवगत कराया है कि संस्था के बहुसंख्यक सदस्यों के हित में संस्था को पुनर्जीवित करने का अनुरोध इस आधार पर किया गया है कि संस्था के वर्तमान एवं नवीन बनने वाले सदस्य संस्था के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की उक्तानुसार मांग की गई है अतः सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बना रहना उचित है. उपरोक्त के प्रकाश में संस्था को पुनर्जीवित किया जाना संस्था सदस्यों के हित में है.

अतः मैं, जगदीश कनोज, उपायुक्त सहकारिता, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पंद्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए गौतम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का परिसमापन आदेश क्र. 4461, दिनांक 23 अगस्त, 2003 मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) की शक्तियों का प्रयोग कर निरस्त करता हूँ. तथा संस्था के कार्य संचालक के लिये श्री एम. सी. पालीवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कमेटी प्रभारी एवं श्री एम. एम. श्रीवास्तव, उप-अंकेक्षक कमेटी, सहायक की दो सदस्यीय कमेटी गठित करता हूँ. कमेटी को निर्देशित किया जाता है कि एक माह की समयावधि में संस्था के लम्बित वर्षों का अंकेक्षण अनिवार्य रूप से पूर्ण करावे एवं संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन सम्पन्न करवाकर निर्वाचित कार्यकारिणी का गठन करावें.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(658)

इन्दौर, दिनांक 02 नवम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

क्र./परि./13/3423— संग्रीला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर/192/1976 है, संस्था के प्रभारी अधिकारी श्री नरेन्द्र मालवीय, सहकारी निरीक्षक, द्वारा दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 को पत्र प्रस्तुत कर संस्था अकार्यशील होने के सम्बन्ध में अवगत कराया एवं मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाने का अनुरोध किया है।

अतः प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पत्र से स्पष्ट होता है कि संस्था के पंजीयन के उद्देश्य पूर्ण हो चुके हैं एवं वर्तमान में संस्था अकार्यशील होकर निष्क्रिय है। तथा संस्था में भूमि एवं सदस्य शेष नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पंद्रह/एक-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला-इन्दौर संग्रीला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एम. एम. श्रीवास्तव, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 02 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

जगदीश कनोज,  
उप-आयुक्त.

(658-A)

### परिसमापनाधीन हैहय क्षत्रिय, गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

दिनांक 24 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./13/क्यू-1.— हैहय क्षत्रिय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक 235, दिनांक 21 जून, 1979 है, को उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक 4965, दिनांक 07 अक्टूबर, 2003 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग इन्दौर, इन्दौर पर कार्यालयीन समय में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 24 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

भूपेन्द्र दवे,  
उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक.

(659)





# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2013-अग्रहायण 15, शके 1935

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 14 अगस्त, 2013

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.—

( अ ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील हटा, तेन्दूखेड़ा, पटेरा (दमोह), रघुराजनगर, रामनगर, मैहर (सतना), नलखेड़ा, बड़ोद, शाजापुर (शाजापुर), थांदला, मेघनगर, पेटलावद, झाबुआ, राणापुर (झाबुआ), अलीराजपुर (अलीराजपुर), डही (धार) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

( ब ) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील शाहनगर (पन्ना), बटियागढ़ (दमोह), अमरपाटन (सतना), गोपदवनास (सीधी), घुन्धडका (मंदसौर), कालापीपल, गुलाना (शाजापुर), जोवट, च.शेखर आजाद नगर, (अलीराजपुर), बदनावर, कुक्षी, मनावर (धार), मुलताई, आढ़नेर (बैतूल), सोंसर, पांडुर्णा, बिछुआ (छिन्दवाड़ा), लांजी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

( स ) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील विजयपुर (श्योपुर), मिहोना (भिण्ड), डबरा (ग्वालियर), निवाड़ी (टीकमगढ़), गौरीहार (छतरपुर), विरसिंहपुर (सतना), जेतहरी (अनूपपुर), बांधवगढ़ (उमरिया), सुबासराटप्पा, भानपुरा, शामगढ़, मंदसौर (मंदसौर), उज्जैन, बड़नगर (उज्जैन), मो बडोदिया, शुजालपुर (शाजापुर), धरमपुरी, गंधवानी (धार), बुरहानपुर (बुरहानपुर), खिलचीपुर (राजगढ़), भैसदेही, शाहपुर, बैतूल, आमला (बैतूल), सिवनी-मालवा, बावई, सोहागपुर (होशंगाबाद), चौरई, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), सिवनी (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

( द ) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील श्योपुर (श्योपुर), अटेर, भिण्ड, गोहद, मेहगांव, लहार (भिण्ड), ग्वालियर, भितरवार, घाटीगांव (ग्वालियर), शिवपुरी, नरवर, करैरा, कोलारस, पोहरी, बदरवास (शिवपुरी), मुंगावली, ईसागढ़, अशोकनगर, चन्देरी (अशोकनगर), चाचौडा (गुना), पृथ्वीपुर, जतारा, टीकमगढ़, वल्देवगढ़, पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़), लौण्डी, नौगांव, छतरपुर, राजनगर, विजावर, बक्स्वाहा (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना, पवई (पन्ना), बीना, खुरई, सागर, रेहली, देवरी, गढ़ाकोटा, राहतगढ़, केसली, मालथोन (सागर), त्योंथर, सिरमौर, मऊगंज, हनुमना, हजूर, गुढ़, रायपुर-कर्चुलियान (रीवा), सोहागपुर, व्यौहारी, जैसिंहनगर, जैतपुर, बुद्धार, गोहपारू (शहडोल), अनुपपुर, कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), पाली, मानपुर (उमरिया), सिंहावल, मझौली, कुसमी, चुरहट, रामपुर-नैकिन (सीधी), मल्हारगढ़, गरोठ, कयामपुर, सीतामऊ, संजीत (मंदसौर), खाचरौद, महिदपुर, तराना, घटिया, नागदा (उज्जैन), कट्टीवाडा (अलीराजपुर), सरदारपुर, धार (धार), खकनार, नेपालनगर (बुरहानपुर), जीरापुर, राजगढ़, व्यावरा, सारंगपुर, नरसिंहगढ़ (राजगढ़), लटेरी, सिरोंज, कुरवाई, नटेरन, बासौदा, विदिशा, ग्यारसपुर

(विदिशा), रायसेन, गैरतगंज, बेगमगंज, गौहरगंज, बरेली, सिलवानी, बाडी, उदयपुरा (रायसेन), घोड़ाडोंगरी, चिचोली (बैतूल), होशंगाबाद, इटारसी, पिपरिया, वनखेड़ी, पचमढ़ी (होशंगाबाद), सीहोरा, पाटन, मझौली, जबलपुर, कुण्डम (जबलपुर), कटनी, रीठी, विजयराघवगढ़, बहोरीबंद, ढीमरखेड़ा, बरही, बड़वारा (कटनी), बिछिया, नैनपुर, मण्डला, घुघरी, नारायणगंज (मण्डला), छिन्दवाड़ा, जुन्नारदेव, परासिया, जामई, अमरवाड़ा, हरई (छिन्दवाड़ा), केवलारी, लखनादौन, बरघाट, कुरई, घंसौर, घनोरा, छपारा (सिवनी), बालाघाट, बैहर, वारासिवनी, कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

( ड ) 245.0 मि. मी. से 450.0 मि. मी. तक.—तहसील कराहल (शयोपुर), पिछोर, खनियाधाना (शिवपुरी), गुना, राधोगढ़, बमोरी, आरोन, कुंभराज, (गुना), बड़ामल्हरा (छतरपुर), गुन्नौर (पन्ना), बण्डा, शाहगढ़ (सागर), निवास (मण्डला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.—जिला शयोपुर, ग्वालियर, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सिंगरौली, सीहोरा, बैतूल, जबलपुर में जुताई व कटनी में धान की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.—जिला सिवनी में फसल रामतिल, बैतूल में रामतिल, कोदों-कुटकी, शयोपुर, ग्वालियर, पन्ना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सीहोरा, जबलपुर में खरीफ फसल की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. फसल स्थिति.—जिला सागर में अतिवृष्टि से फसलें कहीं-कहीं प्रभावित हुई हैं।

5. कटाई.—

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, छतरपुर, शहडोल में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 14 अगस्त, 2013

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी ( कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
<b>*जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. अम्बाह	..				
2. पोरसा	..				
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
<b>जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना कपास. मूँगफली, धान, तिल, बाजरा, ज्वार-समान. (2) उपरोक्त फसलें समान	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	230.1				
2. कराहल	361.5				
3. विजयपुर	52.0				
<b>जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	118.0				
2. भिण्ड	145.0				
3. गोहद	66.0				
4. मेहगांव	118.8				
5. लहार	108.3				
6. मिहोना	38.0				
7. रौन					
<b>जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	81.7				
2. डबरा	45.0				
3. भितरवार	70.9				
4. घाटीगांव	71.0				
<b>*जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सेवड़ा	..				
2. दतिया	..				
3. भाण्डेर	..				
<b>जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, मूँगफली, सोयाबीन अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	88.0				
2. पिछोर	278.0				
3. खनियाधाना	310.0				
4. नरवर	58.0				
5. करैरा	213.0				
6. कोलारस	121.0				
7. पोहरी	179.0				
8. बदरवास	85.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुंगावली	227.0		4. (1) सोयाबीन अधिक. उड़द, मक्का, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	152.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. अशोकनगर	146.0				
4. चन्देरी	190.0				
5. शाहोरा	..				
<b>जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	277.3		4. (1) सोयाबीन, ज्वार, मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राधौगढ़	419.0		(2) ..		
3. बमोरी	252.0				
4. आरोन	313.0				
5. चाचौड़ा	209.0				
6. कुम्भराज	266.0				
<b>जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	36.0		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल, मूँगफली, गन्ना, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	113.0		(2) ..		
3. जतारा	67.0				
4. टीकमगढ़	91.0				
5. बल्देवगढ़	143.0				
6. पलेरा	150.0				
7. ओरछा	69.0				
<b>जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	110.0		4. (1) ज्वार, अरहर, तिल अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	51.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नौगांव	168.7				
4. छतरपुर	119.5				
5. राजनगर	144.6				
6. बिजावर	66.0				
7. बड़ामलहरा	271.0				
8. बकस्वाहा	155.0				
<b>जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	60.6		4. (1) मक्का, तुअर, सोयाबीन, मसूर, मटर, आलू, प्याज अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूँग, तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	228.6		(2) ..		
3. गुन्नौर	294.0				
4. पवई	130.0				
5. शाहनगर	29.6				
<b>जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. अतिवृष्टि से फसलें प्रभावित हुई हैं.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	228.2		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, मूँग, अरहर, तिल, मूँगफली, सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	225.5		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बण्डा	269.8				
4. सागर	162.9				
5. रेहली	77.1				
6. देवरी	83.0				
7. गढ़ाकोटा	138.5				
8. राहतगढ़	152.3				
9. केसली	97.7				
10. शाहगढ़	245.0				
11. मालथोन	242.2				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, तिल, सोयाबीन, उड़द, मूँग सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	1.0				
2. बटियागढ़	20.0				
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	8.4				
7. पटेरा	5.0				
<b>जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, सोयाबीन, उड़द, मूँग, मक्का, कोदों-कुटकी, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	1.6				
2. मझगवां	. .				
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	30.0				
7. रामनगर	9.0				
8. मैहर	5.0				
9. बिरसिंहपुर	37.0				
<b>जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अरहर, धान, ज्वार, सोयाबीन, मूँग, उड़द, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	62.0				
2. सिरमौर	115.7				
3. मऊगंज	83.2				
4. हनुमना	86.0				
5. हजूर	172.8				
6. गुढ़	71.0				
7. रायपुरकर्चुलियान	145.0				
<b>जिला शहडोल :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान, उड़द, अरहर, सोयाबीन. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	76.0				
2. ब्यौहारी	88.0				
3. जैसिंहनगर	56.0				
4. जैतपुर	162.0				
4. बुढार	83.0				
5. गोहपारू	81.0				
<b>जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का अधिक. धान-कम. कोदों, सोयाबीन, उड़द, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	49.4				
2. अनूपपुर	78.1				
3. कोतमा	116.1				
4. पुष्पराजगढ़	84.6				
<b>जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन अधिक रमतिल-कम. ज्वार, केदों-कुच्छ्री, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	36.7				
2. पाली	69.0				
3. मानपुर	71.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, कोदों-कुटकी, तिल, तुअर कम. मक्का, ज्वार, मूँग, उड़द समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	30.6				
2. सिंहावल	80.0				
3. मझौली	85.5				
4. कुसमी	55.0				
5. चुरहट	72.5				
6. रामपुरनैकिन	56.0				
<b>जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का अधिक. धान कम. कोदों, तुअर, मूँग, उड़द, ज्वार समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सिंगरौली	..				
<b>जिला मन्दसौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) कपास, मूँगफली, तिल समान. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	39.6				
2. भानपुरा	47.8				
3. मल्हारगढ़	93.4				
4. गरोठ	86.8				
5. कयामपुर	65.8				
6. मन्दसौर	38.0				
7. शामगढ़	46.3				
8. सीतामऊ	65.4				
9. धुन्धड़का	23.0				
10. संजीत	157.0				
<b>जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, तिल अधिक. मूँगफली कम. उड़द, तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. मनासा	..				
<b>*जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
<b>जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	114.0				
2. महिदपुर	102.0				
3. तराना	54.0				
4. घटिया	98.0				
5. उज्जैन	46.0				
6. बड़नगर	47.0				
7. नागदा	176.0				
<b>जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	35.0				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	4.2				
4. आगर	..				
5. बड़ौद	7.0				
6. शाजापुर	1.4				
7. शुजालपुर	36.0				
8. कालापीपल	32.0				
9. गुलाना	18.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, उड़द, मूंगमोठ, गन्ना अधिक कपास मूंगफली कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
<b>जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, मूंगफली अधिक. मक्का कम कपास, तुअर, धान समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, ..	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	9.4				
2. मेघनगर	13.0				
3. पेटलावद	1.8				
4. झाबुआ	6.0				
5. राणापुर	10.0				
<b>जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, ज्वार, बाजार, धान, मूंगफली, समान. सोयाबीन, कपास अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, ..	7. पर्याप्त. 8. ..
1. जोवट	29.6				
2. अलीराजपुर	1.6				
3. कट्टीवाड़ा	85.0				
4. सोण्डवा	..				
5. च. शेखर आजाद नगर	28.8				
<b>जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. कपास कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	30.2				
2. सरदारपुर	135.0				
3. धार	64.3				
4. कुक्षी	25.1				
5. मनावर	30.0				
6. धरमपुरी	36.0				
7. गंधवानी	40.0				
8. डही	12.0				
<b>जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महु	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
<b>*जिला प. निमाड़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बड़वाह	..				
2. सनावद	..				
3. महेश्वर	..				
4. सेगांव	..				
5. करही	..				
6. खरगौन	..				
7. गोगावां	..				
8. कसरावद	..				
9. मुल्ठान	..				
10. भगवानपुरा	..				
11. भीकनगांव	..				
12. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
<b>*जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..		
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
<b>जिला पूर्वे-निमाड़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
<b>जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	50.2		4. (1) कपास, मूँगफली तिल, समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	144.8		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	119.1				
<b>जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	157.5		4. (1) सोयाबीन, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	40.6		गन्ना, ज्वार, तुअर कम. मक्का समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	56.2		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. ब्यावरा	121.4				
5. सारंगपुर	76.8				
6. नरसिंहगढ़	124.0				
<b>जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. ..
1. लटेरी	213.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	176.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	150.0				
4. बासौदा	160.8				
5. नटेरन	124.0				
6. विदिशा	94.8				
7. ग्यारसपुर	80.0				
<b>जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) सोयाबीन, मक्का, मूँगफली, तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
<b>जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2) ..	..	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				



1	2	3	4	5	6
<b>जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	118.4		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, अरहर, मूँग, सोयाबीन, मूँगफली, तिल, उड़द, सन, गन्ना.	6. संतोषप्रद, . .	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	90.3		(2) . .		
3. बेगमगंज	88.2				
4. गोहरगंज	71.0				
5. बरेली	141.0				
6. सिलवानी	93.4				
7. बाड़ी	75.0				
8. उदयपुरा	110.0				
<b>जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. रामतिल एवं कोदों-कुटकी की बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	46.0		4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	108.1		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शाहपुर	35.0				
4. चिचोली	102.2				
5. बैतूल	46.0				
6. मुलताई	28.2				
7. आठनेर	33.7				
8. आमला	42.0				
<b>जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	37.8		4. (1) मूँग-मौठ, गन्ना, तिल, मूँगफली समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	78.3		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बाबई	39.0				
4. इटारसी	100.0				
5. सोहागपुर	49.0				
6. पिपरिया	73.0				
7. वनखेड़ी	96.8				
8. पचमढी	73.4				
<b>जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) सोयाबीन.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. टिमरनी	. .				
<b>जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	131.4		4. (1) तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	110.4		(2) . .		
3. मझौली	169.1				
4. जबलपुर	111.3				
5. कुण्डम	225.0				
<b>जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	172.6		4. (1) धान, मक्का, तिल, सोयाबीन, राहर, कोदो, उड़द समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	170.0		(2) . .		
3. बड़वारा	149.0				
4. विजयराघवगढ़	89.5				
5. बहोरीबंद	105.4				
6. ढीमरखेड़ा	155.0				
7. बरही	146.0				

1	2	3	4	5	6
<b>*जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गाडरवारा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
<b>जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	281.1		4. (1) धान, मक्का, कोदो, तुअर, तिल, सन सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	161.9		(2) ..		
3. नैनपुर	76.6				
4. मण्डला	155.6				
5. घुघरी	177.2				
6. नारायणगंज	220.4				
<b>*जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. डिण्डोरी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. शाहपुरा	..		(2) ..		
<b>जिला छिन्दवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. छिन्दवाड़ा	56.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	70.6		(2) ..	..	
3. परासिया	109.3				
4. जामई (तामिया)	182.0				
5. सोंसर	26.6				
6. पांडुर्णा	25.4				
7. अमरवाड़ा	121.4				
8. चौरई	48.4				
9. बिछुआ	28.8				
10. हरई	78.7				
11. मोहखेड़ा	53.0				
<b>जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. रामतिल की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सिवनी	52.2		4. (1) गन्ना, तिल अधिक. ज्वार, केरों-कुटकी, मूँगफली, सोयाबीन, सन कम. धान, तुअर, मूँग समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	78.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. लखनादौन	137.5				
4. बरघाट	56.8				
5. कुरई	186.0				
6. घंसौर	191.0				
7. धनोरा	93.0				
8. छपारा	108.7				
<b>जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	61.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	34.5		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	62.0				
4. वारासिवनी	70.1				
5. कटंगी	211.2				
6. किरनापुर	..				

टीप.— \*जिला मुरैना, दतिया, रतलाम, प.निमाड़, बड़वानी, नरसिंहपुर, डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,  
आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(657)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.